उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973)

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973

(President's Act No. 11 of 1973)

उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973[1]

[राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 47, 1976

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 48, 1976

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1978

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1980

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 06, 1982

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 1983

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1985

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 1995

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 2000

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2008

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2023

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2025

द्वारा संशोधित

[दिनांक 2 सितम्बर, 1973 को अधिनियमित निम्नलिखित राष्ट्रपति अधिनियम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।]

उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के योजना के अनुसार विकास के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के वास्ते उपबंध करने के लिये [2][निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

अधिनियम

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते है।

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 की अधिनियम के शीर्षक द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय–एक

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 है। **संक्षिप्त नाम और विस्तार**

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों और रक्षा प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा अधिगृहीत अथवा पट्टे पर ली गई भूमियों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर है।

2–इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:– **परिभाषायें**

[1]**[**(क) "सुखसुविधा'' में सड़क, जलापूर्ति, मार्ग–प्रकाश, जल–निकासी, मल वहन, सार्वजनिक पार्क एवं खुला स्थल विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण मल–जल उपचार संयंत्र तथा उपयोगिताओं एवं सेवाओं सहित अन्य लोक संकर्म और अन्य सुविधायें, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुख–सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करें सम्मिलित है;**]**

(ख) ''भवन'' के अन्तर्गत ऐसी संरचना या परिनिर्माण अथवा ऐसी संरचना या परिनिर्माण का भाग है जो आवासी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाने के लिये आशयित है चाहे वह वास्तविक उपयोग में हो या न हो;

(ग) "निर्माण क्रिया'' के अन्तर्गत पुनर्निर्माण क्रियाएं, भवनों के संरचनात्मक परिवर्तन या परिवर्धन और ऐसी अन्य क्रियाएं हैं जो भवनों के निर्माण के संबंध में सामान्यतया की जाती है;

(घ) "उपविधि'' से विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गई उपविधि अभिप्रेत है ;

[2][(घघ) "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" का क्रमशः तात्पर्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से होगा ;]

[3][(घघघ) "नगरीय विकास प्रभार" का तात्पर्य भूमि के विकास के लिये धारा 38–क के अधीन किसी निजी विकासकर्ता पर उद्गृहीत किये गये प्रभार से है ;]

(ङ) ''विकास'' से इसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित भूमि में, उस पर उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण, इंजीनियरी, खनन या अन्य क्रियाएं अथवा किसी भवन या भूमि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुनर्विकास भी है ;

(च) "विकास क्षेत्र'' से धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र घोषित किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(छ) "विकास प्राधिकरण'' या ''प्राधिकरण'' से किसी विकास क्षेत्र के संबंध में उस क्षेत्र के लिए धारा 4 के अधीन बनाया गया विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

[4][(छछ) "विकास प्राधिकरण केन्द्रीवित सेवा" का तात्पर्य धारा 5–क के अधीन सृजित केन्द्रीयित सेवा से है,]

[5][(छछछ) "विकास शुल्क" का तात्पर्य विकास क्षेत्र में सुख–सुविधायें प्रदान करने और उनके सुधार एवं अनुरक्षण के लिये धारा 15 के अधीन उद्ग्रहीत शुल्क से है।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2023 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2008 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1985 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2023 की धारा 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ज) ''इंजीनियरी क्रिया'' के अन्तर्गत किसी सड़क तक पहुंच के साधनों का बनाना या उनका लगाना अथवा जलप्रदाय के साधनों का लगाना भी है ;

[1] [(जज) ''भू–उपयोग परिवर्तन प्रभार'' का तात्पर्य महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू–उपयोग के परिवर्तन के लिये धारा 38–क के अधीन किसी व्यक्ति या निकाय पर उद्गृहीत किये गये प्रभार से है ;

(जजज) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के जुटाव और विकास करने के लिये धारा 39–ख के अधीन लाइसेंस चाहने वाले किसी निजी विकासकर्ता पर उद्गृहीत की गयी फीस से है ;]

(झ) ''पहुंच के साधन'' के अन्तर्गत गाड़ियों या पैदल चलने वाले लोगों के लिये, चाहे प्राइवेट या सार्वजनिक, कोई भी पहुंच के साधन अभिप्रेत हैं और उनके अन्तर्गत सड़क भी है;

[2][(झझ) ''नामांतरण प्रभार'' का तात्पर्य ऐसे प्रभार से है जो किसी ऐसे व्यक्ति पर प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किसी सम्पत्ति का अपने नाम में नामांतरण कराने के लिए धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय,]

[3] [(झझझ) ''निजी विकासकर्ता'' का तात्पर्य किसी व्यक्ति, कम्पनी या संघ, व्यक्तियों के निकाय चाहे निगमित हो या न हो, से है जिसके पास विकास के लिये भूमि है या जुटाव किया हो या क्रय या अन्यथा द्वारा भूमि रखने या जुटाव करने के लिये सहमत हो और जिसे इस अधिनियम की धारा 39–ख के अधीन लाइसेंस दिया गया हो।]

(ञ) ''विनियम'' से विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम अभिप्रेत है ;

(ट) ''नियम'' से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम अभिप्रेत है ;

[4][(टट) 'विशेष सुख–सुविधा' में अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाएं यथा त्वरित जन अभिवहन प्रणाली (मेट्रो रेल, लाईट रेल, क्षेत्रीय त्वरित रेल, त्वरित बस, अभिवहन प्रणाली, रोपवे इत्यादि), फ्रीवेज (एलीवेटेड रोड इत्यादि), नगरीय पुनरोद्धार परियोजनाएं (नदी तट विकास इत्यादि) अथवा कोई अन्य प्रमुख अवस्थापना परियोजना, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में गजट में अधिसूचित की जाए, सम्मिलित है।

(टटट) 'विशेष सुख–सुविधा शुल्क' का तात्पर्य विकास क्षेत्र में विशेष सुख–सुविधाओं, उनके सुधार तथा अनुरक्षण हेतु उपबन्ध के लिए धारा 15 की उपधारा 2(ख) के अधीन उद्गृहीत शुल्क से है;]

[5][(टटटट) 'अम्बार फीस' का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय पर, जो प्राधिकरण की भूमि पर या किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री रखने के लिये धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय;]

(ठ) ''भवन के परिनिर्माण'' के अन्तर्गत उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित निम्नलिखित है–

(i) किसी भवन का कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या परिवर्धन;

(ii) संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा–

[6][(ठठ) 'नगरीय उपयोग प्रभार' का तात्पर्य धारा 38ख के अधीन किसी व्यक्ति अथवा निकाय से उद्गृहीत प्रभार से है।]

[7][(ठठठ) ''जल फीस'' का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी व्यक्ति या निकाय पर प्राधिकरण द्वारा सम्भरित जल का निर्माण संक्रिया या भवन के निर्माण में उपयोग करने के लिए धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय,]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2008 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2008 की धारा 2 (ग) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2023 की धारा 2 (ग) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 2(घ) द्वारा पुर्नसंख्यांकित।
6. उपर्युक्त की धारा 2(ङ) द्वारा बढ़ाया गया।
7. उपर्युक्त की धारा 2(च) द्वारा पुर्नसंख्यांकित।

(क) किसी ऐसे भवन का जो प्रारम्भ में मानव वास के लिये निर्मित नहीं किया गया था मानव वास के लिये स्थान में सम्परिवर्तनय या

(ख) किसी भवन का जो प्रारम्भ में मानव वास के लिये एक स्थान के रूप में निर्मित किया गया था ऐसे एक से अधिक स्थानों में सम्परिवर्तनय या

(ग) मानव वास के दो या अधिक स्थानों का ऐसे और अधिक स्थानों में सम्परिवर्तन ;

(iii) भवन में ऐसे परिवर्तन जो उसकी जल–विकास या सफाई संबंधी व्यवस्था में परिवर्तन करे या उसकी सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करे ;

(iv) किसी भवन में किन्हीं कमरों, इमारतों, मकानों या अन्य संरचनाओं को जोड़ना; और

(v) किसी दीवार में जो ऐसे मार्ग या भूमि से लगी हुई है जो उस दीवार के स्वामी की नहीं है ऐसे दरवाजे का निर्माण जो ऐसे मार्ग या भूमि की ओर खुलता हो ;

(ड) "परिक्षेत्र'' से ऐसे खण्डों में से कोई एक खण्ड अभिप्रेत है जिनमें किसी विकास क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनों के लिये विभाजित किया जाए ;

(ढ) ''भूमि'' पद का वही अर्थ है जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 में है।

अध्याय 2

विकास प्राधिकरण और उसके उद्देश्य

विकास क्षेत्रों की घोषणा

3–यदि राज्य सरकार की राय में राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र का योजना के अनुसार विकास करना अपेक्षित है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी ।

विकास प्राधिकरण

4–(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विकास क्षेत्र के लिये इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण गठित कर सकेगी जो विकास प्राधिकरण कहलाएगा।

(2) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में उसे दिए गये नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्ति के अर्जन धारण और व्यान करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा जो उक्त नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) किसी विकास क्षेत्र की बाबत, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित सम्पूर्ण नगर या उसका कोई भाग हो, प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थातः–

(क) एक अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा ;

[1][(ख) उपाध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया जाय।]

[2][(ग) राज्य सरकार का सचिव जो उस विभाग का भार साधक हो जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य निष्पादित होता हो, पदेन,]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2025 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1985 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) राज्य सरकार का सचिव जो वित्त विभाग का भार साधक हो, पदेनय

(ङ) उत्तर प्रदेश का मुख्य नगर तथा ग्राम योजनाकार, पदेन;

[1] [(च) उत्तर प्रदेश जल–सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल–निगम का प्रबन्ध निदेशक, पदेन ;]

(छ) मुख्य नगर अधिकारी, पदेन ;

(ज) ऐसे प्रत्येक जिले का, जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र के अन्तर्गत हो, जिला मजिस्ट्रेट, पदेन;

(झ) उक्त नगर की नगरमहापालिका के सभासदों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाने वाले चार सदस्य :

परन्तु कोई ऐसा सदस्य नगर महापालिका का सभासद न रहने पर इस रूप में भी पद धारण नहीं करेगाय

(ञ) तीन से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाएं।

(4) **[2][* * *]**

(5) उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाएं ।

(6) उपधारा (3) के खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य प्राधिकारण की बेठक में स्वयम् उपस्थित होने के बजाये, ऐसे अधिकारी को, जो खण्ड (ग), या खण्ड (घ), में निर्दिष्ट सदस्य की दशा में उसके विभाग में उपसचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, और खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य की दशा में नगर योजनाकार की पंक्ति से नीचे का न हो और खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य की दशा में अधीक्षक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिये भेज सकेगा। इस प्रकार भेजे गये अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का तथा मत देने का अधिकार होगा।

(7) उपधारा (3) में उल्लिखित विकास क्षेत्र से भिन्न विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच से अन्यून तथा ग्यारह से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिनमें उस विकास क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले म्युनिसिपल बोर्ड और नोटिफाईड एरिया कमेटी में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा और जो इतनी अवधि के लिये तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आवेश द्वारा अवधारित किये जाएं ;

परन्तु उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जो प्राधिकरण के पदेन सदस्य से भिन्न हो किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2025 की धारा 2(ख) द्वारा हटाया गया।

और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकार किये जाने पर वह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(8) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकरण में किसी रिक्ति के होने अथवा उसके गठन में किसी त्रुटि के ही कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द

5–(1) राज्य सरकार दो उपयुक्त व्यक्तियों को प्राधिकरण के क्रमशः सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें अथवा जो प्राधिकरण या उसके उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें प्रत्योजित किये जाये।

(2) ऐसे नियंत्रण और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किए जाएं, प्राधिकरण इतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने उसके कृत्यों के दक्ष निष्पादन के लिये आवश्यक हों, और उनके पदाभिधान और श्रेणी अवधारित कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण के सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी प्राधिकरण की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों से शासित होंगे जो इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा विहित की जायें।

केन्द्रीयित सेवाओं का सृजन

[1]**[5–क**–(1) धारा 5 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये मी, राज्य सरकार किसी भी समय अधिसूचना द्वारा धारा 59 की उपधारा (4) में उल्लिखित पदों से भिन्न ऐसे पदों के लिये जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, एक या अधिक "विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवायें" सृजित कर सकती है जो समस्त प्राधिकरणों के लिये सामान्य हो और ऐसी सेवा में भर्ती की रीति और शर्तें और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते विहित कर सकती है।]

(2) विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सृजित किये जाने पर ऐसे सृजन के ठीक पूर्व ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर सेवारत कोई व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 द्वारा नियंत्रित व्यक्ति से या प्रति नियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति मे मित्र हो, जब तक कि वह अन्यथा विकल्प न करे, ऐसी सेवा में–

(क) अन्तिम रूप से, यदि वह पहले से ही अपने पद पर स्थायी हो, और

(ख) अनन्तिम रूप से, यदि वह अस्थायी या अस्थानापन्न रूप में पद धारण किये हो, आमेलित किया जायगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसी विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सृजन से तीन मास के भीतर सरकार के आवास विभाग में ऐसी केन्द्रीयित सेवा में आमेलित न किये जाने का अपना विकल्प संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1985 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

जायगा कि उसने ऐसी केन्द्रीयित सेवा में, यथास्थिति, अन्तिम या अन्तिम रूप से आमेलन के लिये विकल्प किया है।

(4) किसी व्यक्ति की, जो अनन्तिम रूप से आमेलित हो, विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में अन्तिम रूप से आमेलन के लिये उपयुक्तता की परीक्षा विहित रीति से की जायेगी और यदि उपयुक्त पाया गया तो उसे अन्तिम रूप से बामेलित कर लिया जायेगा।

(5) ऐसे कर्मचारी की, जो आमेलन के विरुद्ध विकल्प करता है या जिसे अन्तिम रूप से आमेलन के लिये उपयुक्त न पाया जाय, सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उसकी किसी ऐसी छुट्टी, पेन्शन, भविष्य निधि या आनुतोषिक के, जिसे वह पाने का हकदार होता, दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सम्बद्ध विकास प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में निम्नलिखित के बराबर धनराशि पाने का हकदार होगा–

(क) तीन मास का वेतन, यदि वह स्थायी कर्मचारी था।

(ख) एक मास का वेतन, यदि वह अस्थायी कर्मचारी था।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ शब्द ''वेतन'' के अन्तर्गत महंगाई भत्ता, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन भी, यदि कोई हो, है।

(6) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एक से दूसरे विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित करना विधिपूर्ण होगा।]

सलाहकार परिषद

6–(1) राज्य सरकार यदि ठीक समझे तो प्राधिकरण को महायोजना तैयार करने के बारे में तथा विकास की योजना से संबंधित ऐसे अन्य विषयों के बारे में अथवा इस अधिनियम के प्रशासन से या उसके संबंध में पैदा होने वाले ऐसे मामलों के बारे में जो प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें सलाह देने के प्रयोजनों के लिए एक सलाहकार परिषद् गठित कर सकेगी।

(2) धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विकास क्षेत्र के संबंध में सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(क) प्राधिकरण का अध्यक्ष, **पदेन,** जो सभापति होगा ;

(ख) मुख्य नगर और ग्राम योजनाकार उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्वायत्त प्रशासन इंजीनियरी विभाग का मुख्य इंजीनियर, **पदेन;**

(ग) चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उसका नाम–निर्देशिती जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, **पदेन;**

(घ) विकास क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारियों के चार प्रतिनिधि जो उनके सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जायंगे;

(ङ) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती जो उप–परिवहन आयुक्त की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, पदेन;

(च) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड का अध्यक्ष या उसका नाम निर्देशिती, पदेन;

(छ) लोक सभा के और राज्य विधान सभा के ऐसे सब सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग हो;

(ज) राज्य सभा और राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सब सदस्य जिनका निवास स्थान विकास क्षेत्र में हो;

(झ) तीन सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे और जिनमें से एक विकास क्षेत्र के मजदूरों के हितों का और एक उद्योग और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा।

(3) उपधारा (2) के खंड (ज) के प्रयोजनों के लिये राज्य सभा या राज्य की विधान परिषद् के सदस्य का निवास स्थान वह समझा जायगा जो ऐसे सदस्य के रूप में, यथास्थित, उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन की अधिसूचना में उल्लिखित हो ।

(4) उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन निर्वाचित सदस्य परिषद् के लिये अपने निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा :

परन्तु ऐसे सदस्य उस स्थानीय निकाय का जिससे वह निर्वाचित किया गया था सदस्य न रहते ही उसकी अवधि समाप्त हो जायगी।

(5) उपधारा (2) में उल्लिखित विकास क्षेत्र से भिन्न किसी विकास क्षेत्र के संबंध में सलाहकार परिषद् में, यदि कोई हो, इतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जायें।

(6) [1]**[**सलाहकार परिषद्**]** की बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाये जाने पर होगी ;

परन्तु ऐसी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

प्राधिकरण का उद्देश्य

[2]**[7**–प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करना है और उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के पास भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन तथा निस्तारण करने, निर्माण, अभियन्त्रण, खनन और अन्य संक्रियाओं को क्रियान्वित करने, जल तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य को निष्पादित करने, मलवहन का निस्तारण करने, गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य सेवाओं, सुविधाओं तथा विशेष सुख–साधनों का उपबंध करने और सामान्यतः ऐसे विकास के प्रयोजनार्थ एवं उससे आनुषंगिक प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन कोई कार्य करने की शक्ति होगी ;

परन्तु यह कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना को प्राधिकृत किया जाना नहीं लगाया जायेगा।**]**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2023 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 3

महायोजना और परिक्षेत्रीय विकास योजनाए

विकास क्षेत्र का नागरीय सर्वेक्षण और उसके लिये महायोजना

8–[1]**[**(1) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुये, जिन्हें राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा समय–समय पर आरोपित करे, परिषद अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के लिये ऐसे अधिकारी और कर्मचापरी नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।**]**

(2) महायोजना–

(क) उन विभिन्न परिक्षेत्रों को परिनिश्चित करेगी जिनमें विकास क्षेत्र को विकास के प्रयोजनों के लिये विभाजित किया जा सकता है और वह रीति जिसमें प्रत्येक परिक्षेत्र में भूमि का (चाहे उस पर विकास क्रियान्वित करके या अन्य रूप से) प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है और वे प्रक्रम जिनमें ऐसा विकास कार्यान्वित किया जायगा, उपदर्शित करेगी; और

(ख) उस रूप रेखा के बुनियादी नमूने के रूप में होगी जिसके अन्तर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों की परिक्षेत्रीय विकास योजनायें तैयार की जा सकती हैं।

(3) महायोजना में किसी ऐसी अन्य बात के लिये उपबन्ध हो सकेगा जो विकास क्षेत्र के उचित विकास के लिये आवश्यक हो।

[2]**[**(4) महायोजना को प्रत्येक 10 वर्ष के समाप्त होने पर अथवा उससे पूर्व यदि राज्य सरकार ऐसा उचित समझे पुनरीक्षित किया जा सकता है।**]**

परिक्षेत्रीय विकास योजनायें

9–(1) प्राधिकरण महायोजना तैयार करने के साथ–साथ या तत्पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उन परिक्षेत्रों में से, जिनमें विकास क्षेत्र विभाजित किये जा सकते हैं, प्रत्येक परिक्षेत्र के लिये एक परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने के लिये अग्रसर होगा।

(2) परिक्षेत्रीय विकास योजना में––

(क) परिक्षेत्र के विकास के लिये अवस्थित रेखा चित्र और उपयोग योजना हो सकेगी तथा परिक्षेत्र में सार्वजनिक भवनों और अन्य सार्वजनिक तथा लोकोपयोगी संकर्मों, सड़कों, आवास, मनोरंजन, उद्योग, व्यवसाय, बाजार, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक तथा प्राइवेट खुले स्थलों और अन्य प्रकार के सार्वजनिक तथा प्राइवेट उपयोग जैसी बातों के लिये परिक्षेत्र में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की मोटी तौर पर अवस्थित और सीमाएं दर्शित हो सकेंगी ;

(ख) जनसंख्या की सघनता और भवनों की सघनता के मानक विनिर्दिष्ट हो सकेंगे ;

(ग) परिक्षेत्र का प्रत्येक ऐसा क्षेत्र दर्शित हो सकेगा जो प्राधिकरण की राय में विकास या पुनर्विकास के लिये अपेक्षित हो या घोषित किया जाय ; और

(घ) विशिष्टतः निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के बारे में उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो सकेंगे, अर्थातः–

(i) भवनों के परिनिर्माण के लिये किसी स्थल का प्लाटों में विभाजन;

(ii) सड़कों, खुले स्थानों, बगीचों, मनोरंजन स्थलों, स्कूलों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि का आवंटन या आरक्षण;

(iii) किसी क्षेत्र का नगरी या कालोनी में विकास तथा वे निर्बन्धन और शर्तें जिनके अधीन ऐसा विकास कार्य लिया जा सकता है अथवा क्रियान्वित किया जा सकता है;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 47, 1976 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2023 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

(iv) किसी स्थल पर भवनों का परिनिर्माण तथा भवनों में या उनके इर्द–गिर्द बनाए रखे जाने वाले खुले स्थानों के बारे में तथा भवनों की ऊंचाई और उनके स्वरूप के बारे में निर्बन्धन और शर्तें;

(v) किसी स्थल के भवनों का संरेखण;

(vi) किसी स्थल पर परिनियमित किये जाने वाले किसी भवन के उठान या अग्र भाग का वास्तुकलात्मक स्वरूप ;

(vii) प्लाट या स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकने वाले आवासी भवनों की संख्या ;

(viii) किसी स्थल या भवन के संबंध में ऐसे स्थल पर चाहे भवनों के परिनिर्माण के पूर्व या पश्चात् उपलब्ध की जाने वाली सुख सुविधायें और वह व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके द्वारा अथवा जिसके व्यय पर ऐसी सुख सुविधायें उपलब्ध की जानी हैं ;

(ix) आस्थान में दुकानों, कर्मशालाओं, भाण्डागारों या कारखानों अथवा विनिर्दिष्ट वास्तुकलात्मक स्वरूप के भवनों या विशिष्ट प्रयोजनों के लिये रूपांवित भवनों के परिनिर्माण के बारे में प्रतिषेध या निर्बन्धन;

(x) दीवारों, घेरों, बाड़ों या किसी अन्य संरचनात्मक या वास्तुकलात्मक संनिर्माण का बनाये रखना और वह ऊंचाई जिस तक उनको बनाये रखा जायेगा;

(xi) भवनों के परिनिर्माण से भिन्न प्रयोजनों के लिये किसी स्थल के प्रयोग के बारे में निर्बन्धन;

(xii) कोई अन्य बात जो परिक्षेत्र या उसके किसी क्षेत्र के योजना के अनुसार उचित विकास के लिये और ऐसे परिक्षेत्र या क्षेत्र में अव्यवस्थित ढंग से भवनों के परिनिर्माण को रोकने के लिये आवश्यक हो ।

योजनाओं का अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना

10–(1) इस धारा में और धारा 11, 12, 14 और 16 में "योजना'' शब्द से महायोजना तथा किसी परिक्षेत्र के लिये परिक्षेत्रीय विकास योजना भी अभिप्रेत है।

(2) प्रत्येक योजना तैयार किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जायगी और वह सरकार योजना को या तो किसी परिवर्तन के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे अनुमोदित कर सकेगी अथवा योजना के ऐसे निदेशों के साथ नामंजूर कर सकेगी जिनमें प्राधिकरण से उन निदेशों के अनुसार नई योजना तैयार करने को कहा जाय।

योजना की तैयारी और उसके अनुमोदन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

11–(1) प्राधिकरण किसी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने और अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के पूर्व योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा और उसकी एक प्रति को निरीक्षण के लिये उपलब्ध करके तथा ऐसे प्रारूप और रीति में जो इस निमित्त विनियम द्वारा विहित की जाय एक सूचना प्रकाशित करके जिसमें किसी भी व्यक्ति से योजना के प्रारूप के बारे में ऐसी तारीख से पहले जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट हो आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, उसे प्रकाशित करेगा।

(2) प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के अन्दर योजना से संयुक्त कोई भूमि स्थित है, योजना के बारे में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(3) ऐसी आपतियों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर जो प्राधिकरण को प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण योजना को अंतिम रूप से तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार प्राधिकरण को निदेश दे सकेगी कि वह ऐसी जानकारी उपलब्ध करे जो उस सरकार को इस धारा के अधीन उसे प्रस्तुत किसी योजना को अनुमोदित करने के प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो।

योजना के प्रारम्भ की तारीख

12–किसी योजना के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण ऐसी रीति से जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे एक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें यह कथित होगा कि योजना अनुमोदित कर दी गयी है और वह स्थान बताया जाएगा जहां योजना की प्रति का किसी भी उचित समय पर निरीक्षण किया जा सकता है तथा पूर्वोक्त सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख को योजना प्रवृत्त हो जायगी ।

अध्याय 3क

विकास क्षेत्रों में मुख्य सड़क

मुख्य सड़कों से संसक्त कतिपय भवनों के अग्रभाग का अनुरक्षण और सुधार

[1]**[12–क**–(1) जहां किसी विकास क्षेत्र में पूर्णतः अनावासिक प्रयोजनों के लिए या अंशतः आवासिक और अंशतः अनावासिक प्रयोजनों के लिए अधिभुक्त कोई भवन फिली मुख्य सड़क से संसक्त हो, वहां ऐसे भवन का अधिभोगी अपने खर्च पर उस निर्मित बनाई गई किन्हीं उपविधियों के अनुसार ऐसे भवन के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग कराने के लिए बाध्य होगा।

(2) जहां प्राधिकरण किसी रंग–व्यवस्था या उस निमित्त प्रत्य विनिदिष्टियों की समरूपता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, या जहां कोई अधिभोगी उपधारा (1) के अनुसार किसी भवन के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग कराने में असफल रहता है, वहां प्राधिकरण आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि उक्त कार्य स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके निदेशाधीन किया जायगा, और तद्नुसार अधिभोगी द्वारा प्राधिकरण को ऐसे कार्य के खर्च का भुगतान करने की भी अपेक्षा कर सकता है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य के खर्च की गणना बिना किसी लाभ–हानि के आधार पर की जायगी, और जमा किये जाने के लिए अपेक्षित धनराशि की युक्तियुक्तता के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, उसका विनिश्वय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, और उसके अधीन रहते प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य का सम्पूर्ण खर्च या उसका भाग, अधिभोगी द्वारा भुगतान न किये जाने की दशा में, उपाध्यक्ष के प्रमाण–पत्र पर अधिभोगी से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा में–

(क) पद "मुख्य सड़क" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए उपविधियों में दिया जाय।

(ख) किसी भवन के सम्बन्ध में, पद 'अधोभोगी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके वास्तविक अधिभोग या उपयोग में भवन हो, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैः–

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

(i) स्वामी (जिस पद के अन्तर्गत अभिकर्ता या न्यासी या न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर, अधिकर्ता या प्रबन्धक या भवन का भोगबन्धकी भी है) जिसका अधिभोग हो ;

(ii) किरायेदार जो तत्सम्बन्धी किराया स्वामी को तत्समय दे रहा हो या देने का उत्तरदायी हो ;

(iii) उसका माफीदार या लाइसेंसी ;

(iv) वह व्यक्ति जिसका दायित्व उसके प्राधिकृत उपयोग और अधिभोग के लिए स्वामी को क्षतिपूर्ति देने के लिये है।]

अध्याय 4

महायोजना और परिक्षेत्रीय विकास योजना का संशोधन

योजनाओं का संशोधन

13–(1) प्राधिकरण महायोजना तथा परिक्षेत्रीय विकास योजना में ऐसे संशोधन कर सकेगा जो वह ठीक समझे और जो इस प्रकार के संशोधन होंगे जिनकी बाबत उसकी यह राय हो कि उनसे योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता और जो भूमि के उपयोग की सीमा अथवा जनसंख्या की सघनता के मानकों से संबंधित नहीं हैं।

(2) राज्य सरकार महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में कोई भी संशोधन कर सकेगी चाहे ऐसे संशोधन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के हों या अन्य प्रकार के।

(3) योजना में कोई संशोधन करने से पहले, यथास्थिति, प्राधिकरण या राज्य सरकार संबंधित विकास क्षेत्र में प्रचलित कम से कम एक समाचार–पत्र में सूचना प्रकाशित करेगी जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के बारे में किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख से पूर्व जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट हो आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे तथा प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सब आपत्तियों और सुझावों पर उनके द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक संशोधन ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायगा जो, यथास्थिति, प्राधिकरण या राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और ऐसे संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन की तारीख को अथवा ऐसी अन्य तारीख को, जो यथास्थिति, प्राधिकरण या राज्य सरकार नियत करे प्रवृत्त हो जायेंगे।

(5) जब प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन योजना में काई संशोधन करे तब वह ऐसे संशोधनों की पूरी विशिष्टियों के बारे में राज्य सरकार को उस तारीख के, जिसको ऐसे संशोधन प्रवृत्त हों, तीस दिन के अन्दर रिपोर्ट देगा।

(6) यदि ऐसा कोई प्रश्न पैदा हो कि क्या प्राधिकरण द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन ऐसे संशोधन हैं जिनसे योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं या यह कि क्या वह भूमि के उपयोग की सीमा अथवा जनसंख्या की सघनता के मानकों से संबंधित हैं तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस बाबत विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) अध्याय 3 के सिवाय किसी अन्य अध्याय में महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह इस धारा के अधीन यथासंशोधित महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रति निर्देश है।

अध्याय 5

भूमि का विकास

विकसित क्षेत्र में भूमि का विकास

14–(1) किसी क्षेत्र के धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के पश्चात् उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति वा निकाय द्वारा (जिसके अन्तर्गत सरकार का कोई विभाग भी है) भूमि का विकास कार्य तब तक नहीं लिया जायेगा या क्रियान्वित नहीं किया जायेगा अथवा जारी नहीं रक्खा जायेगा जब तक ऐसे विकास के लिये लिखित अनुज्ञा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार [1][उपाध्यक्ष] से प्राप्त न कर ली गई हो।

(2) किसी विकास क्षेत्र में किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् उस क्षेत्र में कोई विकास कार्य तब तक नहीं लिया जायगा या कार्यान्वित नहीं किया जायगा अथवा जारी नहीं रखा जायेगा जब तक कि ऐसा विकास ऐसी योजना के भी अनुकूल न हो।

(3) उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि के विकास के संबंध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :–

(क) जब किसी ऐसे विभाग या स्थानीय प्राधिकारी का भूमि का कोई विकास करने का आशय हो तब वह ऐसा विकास करने से कम से कम तीस दिन पूर्व [1][उपाध्यक्ष] को ऐसा करने के अपने आशय की लिखकर सूचना देगा जिसमें किन्हीं योजनाओं और दस्तावेजों के सहित उसकी पूरी विशिष्टियां होंगी;

(ख) किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग की दशा में यदि [1][उपाध्यक्ष] को कोई अपत्ति न हो तो उस विभाग के आशय की खंड (क) के अधीन सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह के अन्दर, ऐसे विभाग को सूचित कर देना चाहिये और यदि [1][उपाध्यक्ष] उक्त अवधि के अन्दर कोई आपत्ति नहीं करता है तो विभाग प्रस्तावित विकास को कार्यान्वित करने के लिये स्वतंत्र होगा;

(ग) जहां [1][उपाध्यक्ष] प्रस्तावित विकास के बारे में इस आधार पर कोई आपत्ति करता है कि विकास किसी ऐसी महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुकूल नहीं है जो उसके द्वारा तैयार की गयी है या तैयार किये जाने के लिये आशयित है अथवा किसी अन्य आधार पर आपत्ति करता है तो, यथास्थिति, ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकारी–

(i) या तो [1][उपाध्यक्ष] द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करने के वास्ते विकास के लिये प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन करेगा, या

(ii) विकास के लिये प्रस्तावों को [1][उपाध्यक्ष] द्वारा उठाई गई आपत्तियों के सहित खंड (घ) के अधीन विनिश्चय के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा;

(घ) राज्य सरकार प्राधिकरण की आपत्तियों सहित विकास के लिये प्रस्ताव मिलने पर या तो प्रस्तावों को परिवर्तन के साथ या उनके बिना अनुमोदित कर सकेगा अथवा,

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

यथास्थिति, विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे परिवर्तन करे जो सरकार द्वारा प्रस्तावित हों और राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा;

(ङ) उपधारा (1) के अधीन किसी घोषणा से पहले किसी ऐसे विभाग या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आरम्भ किये गये किसी भूमि के विकास उस विभाग या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) और (2) की अपेक्षाओं का पालन किये बिना पूरा किया जा सकेगा।

अनुज्ञा के लिये आवेदन

15–(1) धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला (सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न) प्रत्येक व्यक्ति या निकाय [1][उपाध्यक्ष] को एक लिखित आवेदन करेगा जो ऐसे प्ररूप में होगा और जिसमें उस विकास के संबंध में जिससे आवेदन संबद्ध है ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो [2][उपविधियों] द्वारा विहित की जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ इतनी फीस होगी जितनी विनियमों द्वारा विहित की जाये।

[3][(2–क) प्राधिकरण विकास फीस, नामांत्रण प्रभार, अम्बार फीस और जल फीस को ऐसी रीति से और ऐसी दर पर जो विहित की जाय, उद्‌गृहीत करने का हकदार होगा :

परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसे प्राधिकरण द्वारा विकसित न किया जा रहा हो या विकसित न किया गया हो, उद्‌गृहीत अम्बार फीस की धनराशि स्थानीय प्राधिकारी जिसकी स्थानीय सीमा में ऐसा क्षेत्र स्थित हो, को अन्तरित कर दी जायेगी;]

[4][(2–ख) जहां किसी विकास क्षेत्र में राज्य सरकार एक या उसकी अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं का दायित्व ग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, वहां प्राधिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे विशेष सुख–सुविधा शुल्क उद्‌गृहीत करने का हक होगा :

परन्तु यह कि विशेष सुख–सुविधा शुल्क उद्‌गृहीत किये जाने के फलस्वरूप उद्‌गृहीत तथा संगृहीत अतिरिक्त धनराशि इस अधिनियम की धारा 20–क के अधीन यथा स्थापित ''विशेष सुख–सुविधा विकास निधि'' में जमा की जाएगी और इसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित रीति से एक या उससे अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा।]

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन मिलने पर [1][उपाध्यक्ष] धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में अथवा किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है लिखित आदेश द्वारा या तो अनुज्ञा को ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हों, मन्जूर करेगा या ऐसी अनुज्ञा मन्जूर करने से इन्कार कर देगा :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 7(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 7(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2023 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

परन्तु ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार करने का आदेश देने से पूर्व आवेदक को इस बात का कारण दिखाने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायगा कि अनुज्ञा देने से इन्कार क्यों न किया जाय :

परन्तु यह और कि ऐसे आवेदन पर कोई आदेश देने से पूर्व [1][उपाध्यक्ष] आवेदक को उसमें कोई शुद्धि करने अथवा कोई और विशिष्टियां या दस्तावेज देने अथवा अपेक्षित फीस में किसी कमी को पूरा करने का अवसर दे सकेगा कि जिससे कि वह सुसंगत नियमों और विनियमों के अनुरूप हो जाये।

[2][परन्तु यह भी कि उपाध्यक्ष धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा देने के पूर्व उपधारा (2–क) के अधीन उद्ग्रहीत फीसों और प्रभारों को जमा कर सकेगा।]

(4) जहां अनुज्ञा देने से इन्कार किया जाय वहां ऐसे इंकार के आधार लेखबद्ध किये जायेंगे और आवेदक को सूचित किये जायेंगे।

(5) उपधारा (4) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की सूचना मिलने से तीस दिन के अन्दर उसके विरुद्ध [3][अध्यक्ष] से अपील कर सकेगा और [1][अध्यक्ष] अपीलार्थी को और यदि आवश्यक हो तो [1][उपाध्यक्ष] के प्रतिनिधि को भी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या तो अपील को खारिज कर सकेगा या [1][उपाध्यक्ष] को निदेश दे सकेगा कि वह अनुज्ञा को, जिसके लिये आवेदन किया गया है ऐसे परिवर्तनों के साथ या ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी विनिर्दिष्ट की जाय मन्जूर करे।

(6) [4][उपाध्यक्ष] इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदनों का एक रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखेगा जो विनियमों द्वारा विहित किया जाये।

(7) उक्त रजिस्टर में उस रीति की बाबत, जिसमें अनुज्ञा के लिये आवेदनों को निपटाया गया है, जानकारी सहित ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, और वह किसी भी उचित समय पर पांच रुपये से अनधिक की इतनी फीस देने पर जितनी विनियमों द्वारा विहित की जाय आम जनता द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा।

(8) जहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार किया जाता है वहां आवेदक या उसके मार्फत दावा करने वाला कोई व्यक्ति अनुज्ञा के लिये आवेदन पर दी गयी फीस की वापसी का हकदार नहीं होगा किन्तु [1][उपाध्यक्ष] उपधारा (4) के अधीन इंकार के आधारों की सूचना के तीन मास के अन्दर किये गये वापसी के आवेदन पर फीस के इतने प्रभाग की वापसी का निदेश दे सकेगा जितना वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

[5][(9) उप–धारा (3) के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के पश्चात् यदि किसी भी समय उपाध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि ऐसी अनुज्ञा सारवान दुर्व्यपदेशन या कपटपूर्ण कथन या सूचना के फलस्वरूप दे दी गयी थी तो ऐसी अनुज्ञा को लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से निरस्त कर सकता है और उसके अधीन किया गया कोई कार्य बिना ऐसी अनुज्ञा के किया गया समझा जायेगा :

परन्तु कोई भी अनुज्ञा संबंधित व्यक्ति या निकाय की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना निरस्त नहीं की जायेगी।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 7(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 7 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 7(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 3(ग) द्वारा बढ़ाया गया।

[1][**15–क–**(1) प्रत्येक व्यक्ति या निकाय जिसे धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, अनुमोदित मानचित्र के अनुसार विकास पूर्ण करेगा और प्राधिकरण को विकास पूर्ण करने की लिखित नोटिस भेजेगा और प्राधिकरण, से विहित, या प्राधिकरण की उपविधि में दी गयी रीति से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा :

पूर्णता प्रमाण–पत्र

परन्तु यदि विकास पूर्ण करने की नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास के भीतर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रदान नहीं किया जाता है और उसके अस्वीकृत किये जाने की सूचना नहीं दी जाती है तो यह समझा जायगा कि प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रदान कर दिया गया है।

(2) कोई व्यक्ति, किसी वाणिज्यिक भवन पर न तो कब्जा करेगा या न कब्जा करने की अनुज्ञा देगा या उस भवन का या उसके किसी भाग का जिस पर किसी निर्माण कार्य का प्रभाव पड़ता हो, न प्रयोग करेगा या न प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा, जब तक–

(क) प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी न कर दिया जाय, या

(ख) प्राधिकरण, ने विकास पूरा होने की सूचना प्राप्त होने के तीन मास तक, अपनी उक्त अनुज्ञा अस्वीकृत करने की सूचना न भेजी हो।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "वाणिज्यिक भवन" का वही तात्पर्य है जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उसके लिए दिया गया है।]

16–किसी परिक्षेत्र में किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति उस परिक्षेत्र में किसी भूमि या भवन का प्रयोग ऐसी योजना के अनुसार ही करेगा और करने देगा अन्यथा नहीं :

योजनाओं के उल्लंघन में भूमि और भवनों का प्रयोग

परन्तु किसी भूमि या भवन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये और उस सीमा तक जिसके लिये और जिस सीमा तक उसका प्रयोग उस तारीख को जिसको ऐसी योजना प्रवृत्त होती है किया जा रहा हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित हों, जारी रखना विधिपूर्ण होगा।

अध्याय 6

भूमि का अर्जन और व्ययन

17–(1) यदि किसी राज्य सरकार की राय में कोई भूमि इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये अपेक्षित है तो राज्य सरकार ऐसी भूमि का भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अधीन अर्जन कर सकेगी :

भूमि का अनिवार्य अर्जन

परन्तु कोई भी व्यक्ति जिससे कोई भूमि इस प्रकार अर्जित की गई हो ऐसे अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार से उस भूमि को उसको वापस दिये जाने के लिये इस आधार पर आवेदन कर सकेगा कि वह भूमि उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं की गयी है जिसके लिये वह अर्जित की गई थी और यदि उस बाबत राज्य सरकार का समाधान हो जाय तो वह उन प्रभारों के, जो अर्जन के संबंध में उपगत किये गये थे बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित तथा ऐसे विकास प्रभारों के, यदि कोई हों, जैसे अर्जन के पश्चात् उपगत किये गये हों पुनः संदाय किये जाने पर उसे भूमि को वापस देने का आदेश देगी।

(2) जहां कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गयी हो वहां वह सरकार उस भूमि पर कब्जा लेने के पश्चात् उस भूमि को उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह भूमि अर्जित की गयी है प्राधिकरण को या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, उस प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर का जो उस अधिनियम के अधीन दिलाया गया हो और अर्जन के संबंध में सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का संदाय किये जाने पर अन्तरित कर सकेगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

प्राधिकरण द्वारा अथवा संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि का व्ययन

18–(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण या यथास्थिति संबंधित स्थानीय प्राधिकारी–

(क) राज्य सरकार द्वारा अर्जित और उसे अन्तरित किसी भूमि को, उस पर कोई विकास कार्य के लिए या कार्यान्वित किए बिना ; या

(ख) किसी ऐसी भूमि को ऐसा विकास कार्य लेने या कार्यान्वित करने के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे;ऐसे व्यक्तियों के व्ययनार्थ, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जिन्हें वह विकास क्षेत्र का योजना के अनुसार विकास सुनिश्चित करने के लिये समीचीन समझे, दे सकेगा।

(2) इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को उस भूमि का दान, [1][* * *] के तौर पर व्ययन करने के लिये समर्थ बनाती है किन्तु इसके अधीन रहते हुए, इस अधिनियम में भूमि के व्ययन के प्रति निर्देशों का यह अर्थ किया जायगा मानों वे उसके किसी भी रीति से चाहे विक्रय, विनियम या पट्टे के तौर पर अथवा किसी सुखाचार, अधिकार या विशेषाधिकार द्वारा या अन्य रूप से व्ययन के प्रति निर्देश हैं।

[2][(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण या सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी ऐसी भूमि पर (जिसके अन्तर्गत उस पर स्थित कोई भवन भी है) भारतीय जीवन बीमा निगम, हाउसिंग ऐण्ड अर्बन डवलपमेण्ट कारपोरेशन या उत्तर प्रदेश लोक–धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथा परिभाषित "बैंकिंग कम्पनी" या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक या प्रभार का सृजन कर सकता है।]

[3][(4) जहां रिक्त भूमि का इस धारा के अधीन व्ययन अनुबद्ध समय के भीतर निर्माण करने के लिये पट्टे द्वारा, जिसमें ऐसे समय के भीतर निर्माण न करने पर पट्टे का समपहरण करने और पुनः प्रवेश करने का अधिकार भी है, किया गया है और पट्टेदार बिना पर्याप्त कारणों के निर्माण या उसका सारवान भाग अनुबद्ध समय या ऐसे बढ़ाये गये समय के मीतर जो पट्टाकर्ता द्वारा दिया जाय, निर्मित करने में असफल रहता है, वहां [4][पट्टाकर्ता, उपधारा (4–क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पट्टे का समपहरण कर सकता है] और भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकता है :

परन्तु कोई समपहरण या पुनः प्रवेश नहीं किया जायगा जब तक कि पट्टेदार का प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।

[5][(4–क) जब कोई पट्टेदार उप धारा (4) के अधीन अनुबद्ध समय और बढ़ाये गये समय, यदि कोई हो, के भीतर निर्माण करने में असफल रहता है जिससे कि कुल अवधि, पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष से अधिक हो जाती है, तो पट्टाकर्ता द्वारा उससे संबंधित भूमि के प्रचलित बाजार मूल के दो प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष प्रभार वसूल किया जायेगा और यदि उक्त प्रभार के अधिरोपण के दिनांक से पांच वर्ष की अग्रतर अवधि व्यतीत हो जाती है तो पट्टा समपहृत हो जायेगा और पट्टाकर्ता भूमि पर पुनः प्रवेश कर लेगा :

परन्तु जहां उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के पूर्व पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी हो या जहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् एक वर्ष के भीतर पांच वर्ष की अवधि समाप्त होती हो तो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रभार वसूली योग्य होगा।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 5 (1) द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 5 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1985 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 5(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 5(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

(5) ऐसे समपहरण और पुनः प्रवेश पर पट्टेदार द्वारा ऐसी भूमि के लिये दिया गया प्रीमियम बिना किसी ब्याज के निम्नलिखित कटौतियां करने के उपरान्त लौटा दिया जायगाः–

(क) उस पट्टे के अधीन पट्टाकर्ता को देय धनराशि, यदि कोई हो, और

(ख) प्रशासनिक व्यय के लिये प्रीमियम के 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि।

(6) उपधारा (4) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसकी जानकारी के दिनांक से 30 दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(7) ऐसी भूमि का जिस पर पट्टा के समपहरण के पश्चात् पुनः प्रवेश किया जाय, व्ययन उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है।]

नजूल भूमि

19–(1) राज्य सरकार, राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो उस सरकार के और प्राधिकरण के बीच तय पाये जायें, विकास क्षेत्र की किन्हीं विकसित और अविकसित भूमियों को जो राज्य में निहित हों (और जो नजूल भूमि के नाम से ज्ञात हैं और इसमें ऐसे निर्दिष्ट हैं) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विकास के प्रयोजनों के लिये प्राधिकरण को व्ययनार्थ सौंप सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी नजूल भूमि के प्राधिकरण को व्ययनार्थ सौंप दिये जाने के पश्चात् ऐसी भूमि का कोई भी विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन ही लिया जायगा या क्रियान्वित किया जायगा अन्यथा नहीं।

(3) किसी ऐसी नजूल भूमि का प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन विकास किये जाने के पश्चात उसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार की जायगी।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को व्ययनार्थ सौंपी गयी कोई नजूल भूमि तत्पश्चात् किसी समय राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो प्राधिकरण राज्य राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उस सरकार और प्राधिकरण के बीच तय पाये जायं पुनः उस सरकार को व्ययनार्थ सौंप देगा।

अध्याय 7

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

प्राधिकरण की निधि

20–(1) प्राधिकरण की अपनी निधि होगी और वह उसे बनाये रखेगा तथा उसमें निम्नलिखित राशियां जमा की जायंगीः–

(क) राज्य सरकार से अनुदानों, उधारों, अग्रिम धनों के तौर पर या अन्य रूप से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सब धनराशियां;

(ख) राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से उधारों या डिबेंचरों के तौर पर प्राधिकरण द्वारा ली गयी सब धनराशियां ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सब [1][फीस, पथ–कर और प्रभार] ;

(घ) भूमियों, भवनों और स्थावर तथा जंगम दोनों प्रकार की अन्य संपत्तियों के व्ययन से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सब धनराशियां ; और

(ङ) किरायों या लाभों के तौर पर अथवा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सब धनराशियां।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 48, 1976 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) निधि का प्रयोग इस अधिनियम के प्रशासन में प्राधिकरण द्वारा उपगत व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायगा न कि किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये।

(3) राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में अपनी निधि में से इतनी धनराशियां रख सकेगा जितनी वह प्रत्याशित चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक समझे और किसी अधिशेष धनराशि को ऐसी रीति में विनिहित कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे।

(4) राज्य सरकार, इस निमित्त विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को ऐसे अनुदान, अग्रिम धन और उधार दे सकेगी जैसे वह सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कार्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक समझे तथा दिये गये ऐसे सब अनुदान उधार और अग्रिम धन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर होंगे जैसे राज्य सरकार अवधारित करे।

(5) प्राधिकरण उधारों या डिबेंचरों के तौर पर धन (राज्य सरकार से भिन्न) ऐसे स्रोतों से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर ले सकेगा जैसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(6) प्राधिकरण उपधारा (5) के अधीन उधार ली गयी धनराशियों के प्रति संदाय के लिय एक शोधन निधि रखेगा और प्रत्येक वर्ष उस शोधन निधि में इतनी राशियां देगा जितनी इस प्रकार उधार ली गयी सब धनराशियों के नियत अवधि के अन्दर प्रतिसंदाय के लिये पर्याप्त हों।☐

(7) शोधन निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग ऐसे उधार के प्रतिसंदाय में किया जायेगा जिसके लिये ऐसी निधि बनाई गई थी और जब तक ऐसे उधार का पूर्णतः प्रतिसंदाय न हो जाए तब तक उसका प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

विशेष सुख–सुविधा विकास निधि

[1] **[20–क(1)** जहां किसी विकास क्षेत्र में राज्य सरकार एक या उससे अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं का दायित्व ग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, वहां राज्य सरकार संबंधित प्राधिकरण को एक ऐसी पृथक निधि स्थापित करने और उसे अनुरक्षित रखने का निदेश देगी, जिसे ''विशेष सुख–सुविधा विकास निधि'' कहा जाएगा और जिसमें निम्नलिखित आगम जमा किये जायेंगे :–

(क) धारा 15 की उपधारा 2(ख) के अधीन विशेष सुख–सुविधा शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि;

(ख) विशेष सुख–सुविधा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट अनुपात में तथा रीति से किन्हीं अन्य शुल्कों/प्रभारी के कारण संग्रहीत धनराशि।

(2) निधि का उपयाग सम्बन्धित विशेष सुख–सुविधा परियोजना (परियोजनाओं) की वित्तीय वहनीयता के लिये ही ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) राज्य सरकार प्रत्येक विशेष सुख–सुविधा विकास निधि के प्रशासन के लिए अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) सम्बन्धित प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(ख) सम्बन्धित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष;

(ग) सम्बन्धित विकास क्षेत्र में विशेष सुख–सुविधा परियोजना के क्रियान्वयन अभिकरण का परियोजना प्रतिनिधि।**]**

प्राधिकरण का बजट

21–प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक बजट ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, जिसमें प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किये जायेंगे।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2023 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

लेखा और लेखा–परीक्षा

[1] [**22**–(1) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखा का एक वार्षिक विवरण–पत्र जिसके अन्तर्गत तुलन–पत्र भी है, ऐसे रूप में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।

(2) प्राधिकरण के लेखा का परीक्षण प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा ;

परन्तु राज्य सरकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के स्थान पर या उसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक या किसी अन्य लेखा परीक्षक को ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर, ऐसी रीति में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय पर जो उसके और राज्य सरकार के बीच तय पाये सौंप सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार प्राधिकार और विशेषाधिकार–

(एक) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक की स्थिति में वही होंगे जो उसे स्थानीय प्राधिकारी की लेखा परीक्षा के संबंध में होते है,

(दो) यथास्थिति, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थिति में वही होंगे जो उसे सरकारी लेखा की परीक्षा के संबंध में होते हैं, और

(तीन) किसी अन्य लेखा परीक्षक की स्थिति में वही होंगे जैसा विहित किया जाय,

और विशेषतया, उसे बहियां, लेखा, सम्बद्ध वाउचर, कागज और अन्य दस्तावेज पेश किये जाने की मांग करने का और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) लेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण का लेखा तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष या ऐसे समय पर, जैसा उसके द्वारा निदेश दिया जाय, भेजा जायगा। राज्य सरकार प्राधिकरण को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा वह उचित समझे और प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होगा।

(5) लेखा–परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक द्वारा उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षक को देय होगा।]

वार्षिक रिपोर्ट

23–प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के लिये उस वर्ष के दौरान अपने कार्य–कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को राज्य सरकार को ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसी राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे तथा ऐसी रिपोर्ट विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

पेंशन और भविष्य निधि

24–(1)प्राधिकरण अपने पूर्णकालिक वैतनिक सदस्यों के और अपने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिये ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे ऐसी पेंशन या भविष्य निधियां बना सकेगा जैसी वह ठीक समझे ।

(2) जहां ऐसी कोई पेंशन या भविष्य निधि बनाई गई है वहां राज्य सरकार घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो ।

अध्याय 8

अनुपूरक और प्रकीर्ण उपबंध

प्रवेश की शक्ति

25–प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसी व्यक्ति को इसके लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी भूमि या भवन में सहायकों या मजदूरों के सहित या उनके बिना निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश करे–

(क) ऐसी भूमि या भवन के संबंध में कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना अथवा सतह मालूम करना;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 1983 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) निर्माणाधीन संकर्मों की परीक्षा और मलनालियों और जल निकासों के मार्ग का पता लगाना;

(ग) अवभूमि खोदना या बेधना;

(घ) संकर्म की सीमायें और आशयित रेखायें नियत करना;

(ङ) चिन्ह लगाकर और खाइयां काटकर ऐसी सतह सीमा और रेखायें बनाना;

(च) इस बात का पता लगाना कि क्या किसी भूमि का विकास महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके अथवा धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन करके जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा दी गयी थी किया जा रहा है या किया गया है, या

(छ) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक कोई अन्य बात करना; परन्तु–

(i) इस प्रकार कोई भी प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के सिवाय और अधिभोगी को अथवा यदि अधिभोगी न हो तो उस भूमि या भवन के स्वामी को युक्तियुक्त सूचना दिये बिना नहीं किया जायेगा;

(ii) हर हालत में महिलाओं को, यदि कोई हों, ऐसी भूमि या भवन के बाहर चले जाने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा;

(iii) जिस भूमि या भवन में प्रवेश करना हो उसके अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदा सम्यक् ध्यान रखा जायगा जहां तक कि उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिये प्रवेश किया जाता है।

शास्तियां

26–(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वप्रेरणा पर या किसी अन्य व्यक्ति अथवा (सरकार के विभाग सहित) किसी निकाय की प्रेरणा पर किसी भूमि का विकास कार्य, महायोजना के या परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके अथवा धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मन्जूरी के बिना अथवा ऐसी किसी शर्त का उल्लंघन करके जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, लेगा या कार्यान्वित करेगा, वह जुर्माने से जो [1][पचास हजार रूपये] तक का हो सकेगा और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा अपराध उस अपराध के प्रथम बार किये जाने के लिये दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है [1][दो हजार पांच सौ रूपये] तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी भवन या भूमि का प्रयोग धारा 16 के उपबन्धों का उल्लंघन करके अथवा उस धारा के परन्तुक के अधीन विनियमों द्वारा विहित किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करके करेगा वह जुर्माने से जो [2][पच्चीस हजार रूपये]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 6(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 6(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

तक का हो सकेगा और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध उस अपराध के प्रथम बार किये जाने के लिये दोष सिद्धि के पश्चात् जारी रहता है [1][एक हजार दो सौ पचास रूपये] तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो धारा 25 के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालेगा अथवा ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण या बाधा

[2]**[26–क**–(1) जो कोई किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि पर, जो निजी सम्पत्ति न हो, चाहे उक्त भूमि प्राधिकरण की हो या उसमें निहित हो या न हो, किसी सार्वजनिक मार्ग की नाली पर सीढ़ियों को छोड़कर, अधिक्रमण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(3) जो कोई किसी विकास क्षेत्र में किसी मार्ग या भूमि पर जो निजी सम्पत्ति न हो, चाहे उक्त मार्ग या भूमि, प्राधिकरण की हो या उसमें निहित हो या न हो, किसी सार्वजनिक मार्ग की नाली पर सीढ़ियां या किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री ऐसी अवधि के दौरान रखने जिसकी अनुमति अम्बार फीस के भुगतान पर दी गयी हो को छोड़कर, भवन निर्माण सामग्री या अन्य कोई चीज रखकर या जमा करके या अन्य किसी प्रकार कोई बाधा पहुंचाता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) यदि यह विश्वास करने का आधार हो कि किसी व्यक्ति ने किसी विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, कोई अधिक्रमण किया है या बाधा पहुँचायी है तो प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अधिक्रमण करने वाले या बाधा पहुँचाने वाले व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा कि उससे पन्द्रह दिन से अन्यून ऐसी अवधि जैसी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, के भीतर अधिक्रमण या बाधा हटाने की अपेक्षा क्यों न की जाय और ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् लिखित रूप में अभिलिखित किये गये कारणों सहित ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने का आदेश दे सकता है :

परन्तु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई अधिक्रमण तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विहित की जाय, पुनर्वास करने के लिए आनुकल्पिक भूमि या वास सुविधा प्रस्तावित न कर दी जाय।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 6(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद–

(1) ''निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है–

(क) जिसके कुटुम्ब के पास उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित किसी नगर में या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित किसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई स्थावर सम्पत्ति न हो, और

(ख) जिसकी जीविका का मुख्य साधन स्वयं अपना या अपने कुटुम्ब के सदस्य का शारीरिक श्रम है, जिसमें किसी शिल्प का व्यवसाय भी सम्मिलित है, और इसमें रिक्शा चालक या सफाईकार भी सम्मिलित है किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर या उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन व्यापार कर या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन बिक्रीकर निर्धारित किया गया है।

(2) निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में ''कुटुम्ब'' का तात्यर्प यथास्थिति, पति या पत्नी और दोनों में से किसी एक या दोनों के अविवाहित अवयस्क सन्तान से है।

(5) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को इस धारा में यथा उपबंधित कार्यवाही करने के साथ–साथ इस धारा में निर्दिष्ट भूमि पर पायी गयी या यथास्थिति ऐसी भूमि से संलग्न या ऐसी भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई किसी सम्पत्ति को कुर्क या अभिग्रहीत करने की शक्ति भी प्राप्त होगी।

(6) जब प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पत्ति अभिग्रहीत या कुर्क की जाय तो वह ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की सूचना तुरन्त प्राधिकरण को देगा।

(7) प्राधिकरण अभिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त होने तक अभिग्रहीत या कुर्क की गयी सम्पति की उचित अभिरक्षा के लिये ऐसा आदेश, जैसा वह उचित समझे कर सकता है और यदि यह सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो प्राधिकरण उसके विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन किये जाने के लिये आदेश कर सकता है।

(8) जब किसी सम्पत्ति का यथा उपर्युक्त विक्रय किया जाता है, तो उस विक्रय से संबंधित व्ययों, यदि कोई हो, और अन्य आनुषंगिक व्ययों की कटौती करने के पश्चात् विक्रय आगम का–

(क) जब प्राधिकरण द्वारा अधिकरण का आदेश अन्ततः पारित न किया जाय, या

(ख) अपील में पारित किसी आदेश द्वारा यह अपेक्षा की जाय।

भुगतान उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसको अभिग्रहीत या कुर्क किया गया कर दिया जायेगा।

(9) जहां उप–धारा (5) के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की की जाय तो प्राधिकरण ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकता है।

(10) उपधारा (9) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या उस व्यक्ति, जिससे उसको अभिग्रहीत या कुर्क किया गया हो, को–

(क) उन आधारों, जिन पर सम्पत्ति का अधिहरण प्रस्तावित हो, की सूचना देते हुए लिखित रूप में एक नोटिस न दे दी जाय,

(ख) ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, अधिहरण के आधारों के विरुद्ध एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर न दिया जाय, और

(ग) इस विषय में सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

(11) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किसी ऐसे दण्ड के अधिरोपण में, जिसका इससे प्रभावित व्यक्ति अधिनियम के अधीन दायी हो, बाधक न होगा।

(12) उप–धारा (9) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश के उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, जिला जज को उसके विरुद्ध अपील कर सकता है।

(13) ऐसी अपील पर जिला जज अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसको वह उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, की पुष्टि, उपान्तरण या अपास्त करने के लिये उचित समझे और अपील लम्बित रहने तक उस आदेश का कार्यान्वयन, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

धारा 26(क) के अधीन हटाये जाने के लिए प्रतिकर का दावा

[1][**26–ख–**(1) धारा 26–क की उपधारा (4) के अधीन बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने से व्यथित व्यक्ति बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर या तो प्राधिकरण या बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने का आदेश देने वाले अधिकारी या दोनों के विरुद्ध अधिकरण के समक्ष प्रतिकर या प्रत्यास्थापन या दोनों के लिए और ऐसे हटाये जाने के कारण उसे हुई हानि के लिए ऐसे अधिकारी को वैयक्तिक रूप से दायी ठहराने के लिए दावा कर सकता है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 26–क की उपधारा (4) में यथा उपबंधित अधिक्रमण या बाधा के हटाये जाने वाले क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला जिला अधिकरण होगा।

(3) किसी प्रतिकर के भुगतान के लिये या किसी अचल सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और उसी रूप में उसका निष्पादन होगा :

परन्तु यदि अधिकरण किसी अधिकारी के विरुद्ध वैयक्तिक रूप से प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है तो प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह संबंधित अधिकारी के वेतन या अन्य देयों से प्रतिकर की धनराशि वसूल करे और उसका भुगतान दावेदार को करे।

(4) अधिकरण की कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा।

(5) अधिकरण को इस धारा के अधीन किसी दावे का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्–

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

(क) किसी व्यक्ति को समन करने और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने,

(ख) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने,

(ग) किसी अचल सम्पत्ति या उसके परिक्षेत्र का निरीक्षण करने या साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा या स्थानीय अन्वेषण के लिये कमीशन जारी करने,

(घ) दस्तावेजों को प्रकट करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने

(ङ) किसी विधिपूर्ण करार समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करने और तदनुसार आदेश देने

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

(6) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।]

प्राधिकरण किसी ऐसी वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय या जमा की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है।

[1]**[26–ग–**प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी बिना नोटिस दिये निम्नलिखित को हटा सकता है :–

(क) कोई ऐसी दीवाल, मेड़, कटघरा, खम्भा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढांचा चाहे वह स्थिर हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या अस्थायी या कोई ऐसा स्थापक जो किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी खुली नाली, पनाली, कुएं या तालाब पर या उसके ऊपर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल निर्मित या संस्थापित किया जाय ;

(ख) कोई दुकान, कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गट्ठर तख्ता या अलमारी या अन्य कोई वस्तु जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी स्थान पर रखी गयी हो, किसी स्थान में जमा की गई हो, किसी स्थान से बाहर निकली हो, किसी स्थान से संलग्न हो या किसी स्थान पर लटका दी गयी हो।]

अतिक्रमण न रोकने के लिए शास्ति

[2]**[26–घ–**जो कोई, जिसे इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन अधिक्रमण या बाधा को रोकने या निवारित करने का कर्तव्य विशेष रूप से सौंपा गया है, ऐसे अधिक्रमण या बाधा को रोकने या निवारित करने से स्वेच्छापूर्वक या जानबूझकर उपेक्षा करता है, या जानबूझकर छोड़ देता है तो उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुमनि से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।]

भवन को गिराने का आदेश

27–(1) जहां महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के बिना अथवा किन्हीं ऐसी शर्तों का उल्लंघन करके जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है अथवा पूरा कर लियागया है, वहां धारा 26 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण के [3][उपाध्यक्ष या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी] एक आदेश दे सकेगा जिसमें यह निदेश होगा कि ऐसा विकास कार्य गिराकर,

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 8 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

भराई करके अथवा अन्य रूप से उसके स्वामी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी प्रेरणा पर वह विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है अथवा पूरा किया जा चुका है उस तारीख से जिसको कि उसके हटाने के आदेश की एक प्रति उसके कारणों के संक्षिप्त कथन सहित स्वामी को या उस व्यक्ति को परिदत्त की गई है, पन्द्रह दिन से अन्यून और चालीस दिन से अनधिक की इतनी अवधि के अन्दर जितनी उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, हटा दिया जाए तथा आदेश का अनुपालन करने में उसके असफल होने पर [1][उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी] उस विकास कार्य को हटा सकेगा या हटवा सकेगा और [2][उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी] द्वारा यथाप्रमाणित ऐसे हटाए जाने के व्यय स्वामी से या उस व्यक्ति से जिसकी प्रेरणा पर विकास कार्य प्रारम्भ किया गया था या किया जा रहा था अथवा पूरा किया जा चुका था, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किए जा सकेंगे और ऐसे व्ययों की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्वामी को या सम्बन्धित व्यक्ति को इस बात का कारण दिखाने के लिये युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता कि आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिन के अन्दर उसके विरुद्ध [2][अध्यक्ष] को अपील कर सकेगा और [3][अध्यक्ष] अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा अथवा आदेश को उलट सकेगा या उसके किसी भाग को परिवर्तित कर सकेगा।

(3) [3][अध्यक्ष] ऐसे आदेश के निष्पादन को रोक सकेगा जिसके खिलाफ उपधारा (2) के अधीन उसके समक्ष अपील की गई हो।

(4) अपील पर [3][अध्यक्ष] का विनिश्चय, और केवल ऐसे विनिश्चय के ही अधीन उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश, अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नास्पद नहीं किया जाएगा।

(5) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट भवनों को गिराने से सम्बन्धित किसी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकारक।

[3][* * * *]

विकास को रोकने की शक्ति

28–(1) जब महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के बिना अथवा किन्हीं ऐसी शर्तों का उल्लंघन करके जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है किसी विकास क्षेत्र में कोई विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है तब धारा 26 और 27 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी यह अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकेगा कि विकास कार्य आदेश की तामील की तारीख को और उससे बन्द कर दिया जाए तथा ऐसे आदेश का तदनुकूल अनुपालन किया जाएगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 8क(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 8 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 8(ग) स्पष्टीकरण द्वारा निकाला गया।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश के अनुसरण में विकास कार्य को बन्द नहीं किया जाता वहां प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या उक्त अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा वह उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वह विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा उसके सब सहायकों और मजदूरों को विकास के स्थान से इतने समय के अन्दर जितना उस अपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाए हटा दे तथा ऐसा पुलिस अधिकारी तदनुकूल उस अपेक्षा का पालन करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपेक्षा का पालन किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को अथवा प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने के लिये कि विकास जारी नहीं रखा जाता है उस स्थान की देख–भाल करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन आदेश का पालन करने में असफल होगा वह जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान आदेश की तामील के पश्चात् उसका पालन न किया जाना जारी रहता है दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे नुकसान के लिये जो उसे धारा 27 के अधीन किसी विकास कार्य को हटाने के फलस्वरूप अथवा इस धारा के अधीन विकास कार्य को बन्द करने के फलस्वरूप उठाना पड़े किसी प्रतिकर के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा।

(6) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट निर्माण क्रियाओं को रोकने से सम्बन्धित किसी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकारक।

अनाधिकृत विकास को सील बन्द करने की शक्ति

[1] **[28–क–**(1) यथास्थिति, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह धारा 27 या धारा 28 के अधीन किसी विकास क्षेत्र में किसी विकास को हटाने या रोकने का आदेश देने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी समय ऐसे विकास को, ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये विहित की जाय सील बन्द करने का निदेश देते हुए कोई आदेश दें।

(2) जहां कोई विकास सील बन्द कर दिया जाय तो, यथास्थिति, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को हटाने या रोकने के लिए सील को हटाने का आदेश दे सकता है।

(3) उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के सिवाय कोई व्यक्ति ऐसी सील को नहीं हटायेगा।

(4) उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष को अपील कर सकता है और अध्यक्ष, अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् या तो अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(5) अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

प्राधिकरण को अन्य शक्तियों का प्रदान

29–धारा 12 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् विकास प्राधिकरण या उसके उपाध्यक्ष को ऐसे अपवादों या परिवर्तनों के अधीन जैसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उसके ऐसे कृत्य होंगे जैसे सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी गठित करने वाली अधिनियमिति के अधीन यथास्थिति उस स्थानीय प्राधिकारी या उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हैं।

कम्पनियों द्वारा अपराध

30–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किये जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालन के लिये उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध की दोषी समझे जायेंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे ;

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दें कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "कम्पनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है;

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

वसूल किये जाने पर जुर्मानों का प्राधिकरण को दिया जाना

31–इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के सम्बन्ध में वसूल किए गए सब जुर्माने प्राधिकरण को दिए जायेंगे।

अपराधों का समन

32–(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन दण्डनीय बनाए गए किसी अपराध का, कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने से पूर्व या पश्चात् [1][उपाध्यक्ष द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा] ऐसे निबन्धनों पर, जिनके अन्तर्गत शमन फीस के संदाय के बारे में कोई निबंधन भी आता है, जैसे प्राधिकरण (या ऐसा अधिकारी) ठीक समझे, शमन किया जा सकेगा।

(2) जब किसी अपराध का शमन कर दिया जाता है तब अपराधी यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जाएगा तथा समन किए गए अपराध के सम्बन्ध में उसके खिलाफ कोई और कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।

स्वामी द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके खर्च पर सुख सुविधायें उपलब्ध करने अथवा विकास क्रियान्वित करने की तथा कुछ परिस्थितियों में उपकर उद्गृहीत करने की प्राधिकरण की शक्ति

33–(1) यदि प्राधिकरण का, स्थानीय जांच करने के पश्चात् अथवा अपने किसी अधिकारी से रिपोर्ट मिलने या अपने पास होने वाली किसी जानकारी पर, समाधान हो जाता है कि किसी विकास क्षेत्र में किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई सुखसुविधा उस भूमि की बाबत उपलब्ध नहीं की गई है। जो कि प्राधिकरण की राय में उपलब्ध की जानी चाहिये थी या उपलब्ध की जानी चाहिए अथवा यह कि भूमि का कोई विकास जिसके लिए अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अभिप्राप्त की गई थी, क्रियान्वित नहीं किया गया है तो वह भूमि के स्वामी को या ऐसी सुख–सुविधा उपलब्ध करने वाले अथवा उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह इतने समय के अन्दर जितना आदेश में विनिर्दिष्ट हो सुख–सुविधा उपलब्ध करे या विकास क्रियान्वित करे।

(2) यदि आदेश में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कोई सुख–सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती है या कोई ऐसा विकास क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण स्वयं सुख–सुविधा उपलब्ध कर सकेगा या विकास क्रियान्वित कर सकेगा अथवा उसे ऐसे अभिकरण के माध्यम से उपलब्ध करा सकेगा या क्रियान्वित करा सकेगा जिसे वह ठीक समझे ;

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व प्राधिकरण भूमि के स्वामी को या सुखसुविधा उपलब्ध करने वाले अथवा उपलब्ध करने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को इस बात का कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगा कि ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाए।

(3) सुख–सुविधा उपलब्ध करने में या विकास को क्रियान्वित करने में प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत सब व्यय, ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करे उस तारीख से जिसको व्यय के लिये मांग की जाती है उसके संदाय किए जाने तक की अवधि के लिये ब्याज सहित प्राधिकरण द्वारा स्वामी से अथवा सुख–सुविधा उपलब्ध करने वाले या उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किए जा सकेंगे तथा ऐसे व्यय की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में वाद नहीं लाया जाएगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी विकास क्षेत्र की किसी भूमि के इतने स्वामियों द्वारा, जिसने उस भूमि के आधे से अन्यून क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें लिखित अभ्यावेदन पर प्राधिकरण का समाधान हो जाए कि उस भूमि के सम्बन्ध में कोई ऐसी सुख–सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है जो प्राधिकरण की राय में उपलब्ध की जानी चाहिये थी या उपलब्ध की जानी चाहिये अथवा यह कि उस भूमि का विकास जिसके लिए अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी इस अधिनियम के अधीन था [1][इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व] प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अभिप्राप्त की गयी थी क्रियान्वित नहीं किया गया है तो वह स्वयं उस सुख–सुविधा को उपलब्ध कर सकेगा या उस विकास को क्रियान्वित कर सकेगा अथवा उसे ऐसे अभिकरण के माध्यम से जिसे वह ठीक समझे उपलब्ध या क्रियान्वित करा सकेगा तथा व्ययों को उपकर के उद्ग्रहण द्वारा उस भूमि के सभी स्वामियों से वसूल कर सकेगा ;

परन्तु यदि उक्त अभ्यावेदन करने वाले स्वामी यह तर्क पेश करें कि यह तय पाया गया था कि जिस कालोनाइजर या सहकारी आवास सोसाइटी से अथवा जिसके माध्यम से

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

उन्होंने भूमि अर्जित की थी उसी द्वारा सुख सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी या विकास क्रियान्वित किया जाएगा तो, वे ऐसे करार की, अथवा अन्तरण विलेख की अथवा ऐसा करार समाविष्ट करने वाली सोसाइटी की उपविधियों की एक प्रति प्राधिकरण के पास फाइल करेंगे और प्राधिकरण द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि यथास्थिति कालोनाइजर या सोसाइटी को इस बात का कारण बताने की सूचना न दे दी गई हो कि ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाए ;

परन्तु यह और कि जहां प्राधिकरण का समाधान हो जाए कि कालोनाइजर या सोसाइटी समाप्त हो गई है या उसका पता नहीं लगाया जा सकता है वहां अन्तिम पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सूचना जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

[1][(4—क) जहाँ प्राधिकरण अपने द्वारा विकसित किसी क्षेत्र में कोई सुख—सुविधा उपलब्ध करे, तो प्राधिकरण, जब तक धारा 34 में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसे बनाये रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ली जाय भूमि या भवन के स्वामी से उसके लिये ऐसी सुख—सुविधा को बनाये और जारी रखने के लिये उपगत व्ययों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रभार, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा नियत किये जायं, विहित रीति से वसूल करने का हकदार होगा।]

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट उपकर, सुख—सुविधा उपलब्ध करने में या विकास को क्रियान्वित करने में प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत व्यय तथा ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करे संकर्म के पूरा होने की तारीख से संदाय तक की अवधि के लिए ब्याज के बराबर होगा और भूमि के सभी स्वामियों पर उनके स्वामित्वाधीन भूमि के प्रभागों के अलग—अलग क्षेत्रों के अनुपात के अनुसार निर्धारित और उद्गृहीत किया जाएगा।

(6) उक्त उपकर इतनी किश्तों में संदेय होगा और प्रत्येक किश्त ऐसे समय पर और ऐसी रीति से संदेय होगी जो प्राधिकरण नियत करे तथा उपकर के कोई बकाया भू—राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किये जा सकेंगे, और उनकी वसूली के लिए सिविल न्यायालय में वाद नहीं लाया जाएगा।

(7) प्राधिकरण अथवा इस धारा के अधीन उस द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत व्यय प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे और ऐसा प्रमाणपत्र तथा उपधारा (5) के अधीन उपकर का निर्धारण भी, यदि कोई हो, अन्तिम होगा।

(8) यदि भूमि के स्वामियों और उपधारा (4) में निर्दिष्ट कालोनाइजर या सोसाइटी के बीच किसी करार के अधीन सुखसुविधा उपलब्ध करने या विकास को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी ऐसे कालोनाइजर या सोसाइटी पर थी तो स्वामियों द्वारा उस उपधारा के अधीन संदेय उपकर उनके द्वारा यथास्थिति कालोनाइजर या सोसाइटी से वसूल किया जा सकेगा।

कुछ परिस्थितियों में स्थानीय प्राधिकारी से जिम्मेदारियाँ

34—जहां प्राधिकरण द्वारा किसी क्षेत्र का विकास किया गया है वहां प्राधिकरण उस स्थानीय प्राधिकारी से जिसकी स्थानीय सीमाओं के अन्दर इस प्रकार विकसित क्षेत्र स्थित है यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन सुखसुविधाओं को बनाए रखने के लिये, जो उस क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध की गई हों, तथा ऐसी सुखसुविधाओं को उपलब्ध

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1997 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।

करने के लिए, जो प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध न की गई हों, किन्तु जो उसकी राय में उस क्षेत्र में उपलब्ध की जानी चाहिये, प्राधिकरण और उस स्थानीय प्राधिकारी के बीच तय पाये गए निबन्धनों और शर्तों पर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले; और जहां ऐसे निबन्धन और शर्तें तय न पायी जा सकें वहां मामले को प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किए जाने पर उस सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके तय किये गए निबन्धनों या शर्तों पर ले।

लेने की अपेक्षा करने की प्राधिकरण की शक्ति

समुन्नति प्रभार उद्ग्रहीत करने की प्राधिकरण की शक्ति

35–(1) जहां प्राधिकरण की राय में, किसी विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा किसी विकास स्कीम के निष्पादित किए जाने के फलस्वरूप उस क्षेत्र में जिसे विकास से फायदा हुआ है किसी सम्पत्ति का मूल्य बढ़ गया है या बढ़ जाएगा वहां प्राधिकरण उस सम्पत्ति के स्वामी अथवा उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति पर विकास के निष्पादन के फलस्वरूप उस सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि की बाबत समुन्नति प्रभार उद्गृहीत करने का हकदार होगा :

परन्तु सरकार की स्वामित्वाधीन भूमियों के सम्बन्ध में कोई समुन्नति प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां सरकार की कोई भूमि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को पट्टे या अनुज्ञप्ति के तौर पर दी गई है वहां उस भूमि और उस पर स्थित किसी भवन पर इस धारा के अधीन समुन्नति प्रभार लगाया जा सकेगा।

(2) ऐसे समुन्नति प्रभार की रकम –

(i) विकसित की गई नगरी या कालोनी में, यदि कोई हो, अथवा विकसित किए गये या पुर्नविकसित किए गए अन्य क्षेत्र में स्थित किसी सम्पत्ति की बाबत उतनी रकम के तिहाई के बराबर होगी, और

(ii) पूर्वोक्त जैसी नगरी कालोनी या अन्य स्थान से बाहर स्थित सम्पत्ति की दशा में उतनी रकम की एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, जितनी से विकास स्कीम के निष्पादन के पूरे हो जाने पर सम्पत्ति का मूल्य, जो इस प्रकार प्राक्कलित किया गया हो मानो कि सम्पत्ति में भवन नहीं थे, ऐसे निष्पादन के पूर्व सम्पत्ति के मूल्य से जो उसी प्रकार प्राक्कलित किया गया हो, अधिक हो।

प्राधिकरण द्वारा समुन्नति प्रभार का निर्धारण

36–(1) जब [1][उपाध्यक्ष] को यह प्रतीत हो कि कोई विशेष विकास स्कीम पर्याप्त रूप में इतनी आगे बढ़ गई है कि समुन्नति प्रभार की रकम का अवधारण किया जा सकता है तो [1][उपाध्यक्ष] उस निमित्त किए गए आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि समुन्नति प्रभार के अवधारण के प्रयोजन के लिए स्कीम का निष्पादन पूरा हुआ समझा जाएगा तथा तब वह सम्पत्ति के स्वामी अथवा उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति को लिखित सूचना देगा कि [1][उपाध्यक्ष] का विचार धारा 34 के अधीन सम्पत्ति की बाबत समुन्नति प्रभार की रकम निर्धारण करना है।

(2) [1][उपाध्यक्ष] तब संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा संदेय समुन्नति प्रभार की रकम निर्धारित करेगा और ऐसा व्यक्ति [1][उपाध्यक्ष] से ऐसे निर्धारण की लिखित सूचना मिलने की तारीख से तीन मास के अन्दर [1][उपाध्यक्ष] को

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

लिखित घोषणा द्वारा सूचित करेगा कि वह निर्धारण को स्वीकार करता है या उससे असहमत है।

(3) जब [1][उपाध्यक्ष] द्वारा प्रस्तावित निर्धारण संबंधित व्यक्ति द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर स्वीकार कर लिया जाता है तब ऐसा निर्धारण अंतिम होंगा।

(4) यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारण से असहमत है या उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित सूचना उसमें विनिर्दिष्ट समय के अन्दर [1][उपाध्यक्ष] को देने में असफल होता है तब मामला [2][अध्यक्ष] द्वारा अवधारित किया जाएगा, [2][और ऐसे अवधारण पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।]

विनिश्चयों का अंतिम होना

[3]**[37**–अपील पर अध्यक्ष का प्रत्येक विनिश्चय, और केवल अपील पर (यदि वह की जा सकती हो और की जाय) किसी विनिश्चय के अधीन रहते हुए, धारा 15 या धारा 27 के अधीन उपाध्यक्ष या अन्य अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।]

समुन्नति प्रभार का संदाय

38–(1) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत समुन्नति प्रभार इतनी किश्तों में संदेय होगा और प्रत्येक किश्त ऐसे समय और ऐसी रीति से संदेय होगी जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा नियत की जाए।

(2) समुन्नति प्रभार के कोई बकाया भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किये जा सकेंगे और ऐसी बकाया की वसूली के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा।

भू–उपयोग परिवर्तन प्रभार और नगरीय विकास प्रभार उद्गृहीत करने हेतु प्राधिकरण की शक्ति

[4] **[38–क**–(1) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में धारा 13 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किसी विशिष्ट भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित किया जाता हैं वहाँ ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाए, प्राधिकरण को भू–उपयोग परिवर्तन प्रभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा ;

परन्तु भू–उपयोग परिवर्तन प्रभार की वसूली, इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अन्तिम अधिसूचना के पूर्व प्राधिकरण द्वारा भू–स्वानी से की जाएगी ;

[5]**[* * *]**

(2) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में किसी निजी विकासकर्ता को भूमि जुटाव करने और उसका विकास करने के लिये लाइसेंस प्रदान किया गया हो वहां प्राधिकरण को, ऐसी भूमि के निजी विकासकर्ता पर ऐसी रीति और ऐसे दरों पर जैसा कि विहित किया जाय, नगरीय विकास प्रभार उदगृहीत करने का अधिकार होगा।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 10(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2008 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2023 की धारा 7 द्वारा हटाया गया।

नगरीय उपयोग प्रभाग उद्गृहीत करने की प्राधिकरण की शक्ति

[1] **[38–ख**–जहां किसी विकास क्षेत्र में धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन महायोजना के पुनरीक्षण अथवा धारा 9 के अधीन परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार किए जाने के परिणामस्वरूप सड़क, पार्क एवं खुले स्थल, हरित पट्टी व जन सुख–सुविधाओं से भिन्न किसी विशिष्ट भूमि के भू–उपयोग, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भू–उपयोग संपरिवर्तन प्रभार का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली 2014 में विनिर्दिष्ट हो, में उच्चतर उपयोग के लिए परिवर्तन किया जाता है, वहां प्राधिकरण को धारा 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के समय ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाए, नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत करने का हक होगा :

परन्तु यह कि जहां महायोजना प्रथम बार तैयार की जाए, वहां ऐसी भूमि के स्वामी से कोई नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।**]**

सम्पत्ति के कतिपय अन्तरणों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क

39–(1) स्थावर सम्पत्ति के किसी अन्तरण के विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा लगाया गया शुल्क किसी विकास क्षेत्र के अन्दर स्थित स्थावर सम्पत्ति की दशा में, उस प्रतिफल की जिसके निर्देश से उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क संगणित किया जाता है, रकम या मूल्य पर दो प्रतिशत से बढ़ा दिया जाएगाः

परन्तु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क में वृद्धि की पूर्वोक्त प्रतिशतता को पांच तक बढ़ा सकेगी।

(2) उक्त वृद्धि से होने वाले सभी संग्रह, आनुषंगिक व्ययों के, यदि कोई हों, घटाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा स्वविवेकानुसार या तो केवल विकास प्राधिकरण को अथवा विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड को, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे अनुपात में जो समय–समय पर अवधारित किया जाए ऐसी रीति में और ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, आवंटित किए जायेंगे और दिये जायेंगे।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो उसमें विनिर्दिष्ट रूप से यह अपेक्षित हो कि उसमें विशिष्टियाँ विकास क्षेत्र के अन्दर स्थित सम्पत्ति और ऐसे क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में पृथक रूप से की जाएं।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 64 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा और उसका ऐसे अर्थ किया जाएगा मानों वह विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को भी निर्दिष्ट करती हो।

(5) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) और धारा 191 के यू० पी० म्युनिसिपॅलटी ऐक्ट, 1916 की धारा 128 के खण्ड (13–ख) और धारा 128–क के और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 62 के उपबन्ध वहां तक जहां तक वे इस धारा के उपबन्धों के विरुद्ध हों प्रभावी नहीं रहेंगे और इस धारा के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

(6) संयुक्त प्रांत साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6, 8 और 24 के उपबन्ध ऐसी प्रभावहीनता के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे निरसन और पुनरविनियमन के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2023 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

[1][**39–क**–प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के भीतर इस प्रकार अधिसूचित लोकप्रिय समागम स्थान के (जिसमें कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक सम्मिलित है) पहुंच मार्ग के लिये और अन्य सूख स्मारक सम्मिलित है) पहुंच मार्ग के लिये और अन्य सूख–सुविधा के उपयोग के लिये ऐसी दर पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, पथ–कर लगाने और परिदर्शकों से संग्रह करने का हकदार होगा : **सुख–सुविधा के लिये पथ–कर**

परन्तु–

(क) पथ–कर की दर प्रति परिदर्शक [2][एक हजार रूपये] से अधिक न होगी ;

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वर्ग या वर्गो के परिदर्शकों को पथ–कर देने से छूट दे सकती है और ऐसा या ऐसे दिन नियत कर सकती है जब कोई पथ–कर नहीं लगाया जायगा।]

[3][**39–ख**–प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि का जुटाव करने एवं विकास करने के लिये निजी विकासकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिये जैसा कि विहित किया जाय, लाइसेंस दे सकता है।] **भूमि का जुटाव करने एवं विकास करने के लिये लाइसेंस**

[4][**39–ग**–प्राधिकरण को, अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि का जुटाव करने एवं विकास करने के लिये निजी विकासकर्ता को लाइसेंस देने हेतु ऐसी दर पर और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, लाइसेंस फीस उद्‌गृहीत करने का अधिकार होगा।] **लाइसेंस फीस उद्‌गृहीत करने के लिये प्राधिकरण की शक्ति**

[5][**40**–किसी धनराशि को, जो प्राधिकरण को किसी फीस, या प्रभार के मद्दे या भूमि, भवन या किसी भी प्रकार की अन्य सम्पत्ति के, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, व्ययन से किराया, प्रीमियम, लाभ या अवक्रय किस्त के रूप में देय हो, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उपबन्धित वसूली की किसी अन्य रीति द्वारा वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित रूप में वसूल किया जायगा– **प्राधिकरण को देय धनराशि की वसूली**

(क) या तो प्राधिकरण द्वारा कलेक्टर को भेजे गये देय धनराशि के प्रमाण–पत्र पर भू–राजस्व की बकाया के रूप में, या

(ख) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 और 514 में उपबन्धित रीति से सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा, और उक्त अधिनियम के ऐसे उपबन्ध किसी प्राधिकरण के देयों की वसूली पर यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी नगर महापालिका को देय कर की वसूली पर लागू होते हैं, किन्तु इस प्रकार उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं में "मुख्य नगराधिकारी", "महापालिका" और "कार्यकारिणी समिति" के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः "उपाध्यक्ष", "विकास प्राधिकरण" और "अध्यक्ष" के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायगा :

परन्तु वसूली की दो या अधिक रीति को एक साथ प्रारम्भ नहीं किया जायगा या जारी नहीं रखा जायगा।]

41–(1) [6]**[**प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष**]** ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो उसे अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए जाएं। **राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण**

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 48, 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 2000 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2008 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2008 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1985 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 7(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन [1][प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष] द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में या उनके सम्बन्ध में [1][प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष] और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो जाए तो ऐसे विवाद के बारे में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा पर अथवा इस निमित्त उससे आवेदन किए जाने पर [2][प्राधिकरण अथवा सभापति (चेयरमैन)] द्वारा निपटाए गए किसी मामले या किये गए किसी आदेश के अभिलेख, किए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश की वैधता या उसके औचित्य की बाबत अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जैसे वह ठीक समझे :

परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्त–युक्ति अवसर दिए बिना नहीं देगी।

[3][(4) इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दिया गया राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।]

विवरणियां और निरीक्षण

42–(1) प्राधिकरण राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य जानकारी देगा जैसी वह सरकार समय–समय पर अपेक्षित करे।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार या उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी महायोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य जानकारी मांग सकेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी किसी भूमि में सहायकों या मजदूरों के साथ या उनके बिना यह पता लगाने के लिये प्रवेश कर सकेगा कि क्या महायोजना के उपबन्धों का कार्यान्वयन किया जा रहा है या किया जा चुका है अथवा क्या विकास को ऐसी योजना के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है या किया जा चुका है।

(4) इस प्रकार का कोई प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय किए जाने के सिवाय और अधिभोगी को अथवा यदि अधिभोगी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को युक्तियुक्त सूचना दिये बिना नहीं किया जाएगा।

सूचनाओं आदि की तामील

43–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील किये जाने के लिये अपेक्षित सभी सूचनायें, आदेश और अन्य दस्तावेज, इस अधिनियम या ऐसे नियम अथवा विनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर निम्नलिखित दशाओं में सम्यक् रूप से तामील किए गये समझे जाएंगे–

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 7(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 7(2) द्वारा बढ़ाया गया।

(क) जहां वह व्यक्ति जिसको तामील की जानी है कम्पनी है वहां यदि दस्तावेज कम्पनी के सचिव को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के या उसके मुख्य कार्यालय के या कारबार के स्थान के पते से संबोधित है और या तो–

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है , या

(ii) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या मुख्य कार्यालय अथवा कारबार के स्थान में परिदत्त किया जाता है ;

(ख) जहां वह व्यक्ति जिसे तामील की जानी है कोई फर्म है, यदि दस्तावेज उस फर्म को उसके कारबार के मुख्य स्थान के पते से उसकी उस नाम या अभिनाम से पहचान कराकर जिसके अधीन उसका कारबार चलाया जाता है, संबंधित है और या तो–

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या

(ii) उक्त कारबार के स्थान पर परिदत्त किया जाता है ;

(ग) जहां वह व्यक्ति जिसे तामील की जानी है कोई सार्वजनिक निकाय है यदि दस्तावेज उस निकाय, निगम या सोसाइटी के सचिव, खजांची या अन्य मुख्य अधिकारी को उसके मुख्य कार्यालय के पते से संबोधित है और या तो –

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या

(ii) उस कार्यालय में परिदत्त किया जाता;

(घ) किसी अन्य दशा में यदि दस्तावेज तामील किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित है और–

(i) उसे दिया या प्रस्तुत किया जाता है, या

(ii) यदि ऐसा व्यक्ति पाया नहीं जा सकता तो उसके अंतिम ज्ञात निवास के या कारबार के स्थान के यदि वह विकास क्षेत्र के अन्दर हो तो किसी सहजदृश्य भाग पर लगा दिया जाता है अथवा उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को दिया या परिदत्त किया जाता है अथवा उस भूमि या भवन के जिससे वह सम्बन्धित है किसी सहजदृश्य भाग पर लगा दिया जाता है, या

(iii) उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा दिया जाता है।

(2) कोई दस्तावेज जो किसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित पर प्राधिकृत है उस भूमि या भवन के (जिस भूमि या भवन का नाम दिया जायगा) यथास्थिति ''उस स्वामी'' या ''उस अधिभोगी'' को अतिरिक्त नाम या वर्णन के बिना संबोधित किया जा सकेगा और उस दशा में सम्यक् रूप से तामील किया गया समझा जाएगा जिसमें,–

(क) इस प्रकार सम्बोधित दस्तावेज उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार भेजा या परिदत्त किया जाता है, या

(ख) इस प्रकार सम्बोधित दस्तावेज या इस प्रकार सम्बोधित उसकी एक प्रति उस भूमि या भवन पर किसी व्यक्ति को परिदत्त की जाती है या जहां उस भूमि या भवन पर कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसकी उसे परिदत्त किया जाए उसे उस भूमि या भवन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगा दिया जाता है।

(3) जब कोई दस्तावेज उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार किसी फर्म पर तामील किया जाता है तब वह दस्तावेज उस फर्म के प्रत्येक भागीदार पर तामील किया गया समझा जाएगा।

(4) किसी सम्पति के स्वामी पर किसी दस्तावेज की तामील कर सकने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण का सचिव सम्पत्ति के अधिभोगी से (यदि कोई हो) लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके स्वामी का नाम और पता बताए।

(5) जब वह व्यक्ति जिस पर किसी दस्तावेज की तामील की जानी हो अवयस्क हो तब उसके संरक्षक या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर तामील उस अवयस्क पर तामील समझी जाएगी।

(6) इस धारा के अन्दर सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।

लोक सूचना के दिये जाने का ढंग

44–इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली प्रत्येक लोक सूचना प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में होगी और उससे प्रभावित होने वाले स्थान में उसकी व्यापक रूप से जानकारी उक्त स्थान के अन्दर सार्वजनिक स्थानों में उसकी प्रतियां लगाकर या डुग्गी पिटवाकर उसके प्रचार द्वारा अथवा उस स्थान में प्रचलित किसी समाचार पत्र में विज्ञापन करके अथवा इन साधनों में से किन्हीं दो या अधिक द्वारा और ऐसे किन्हीं अन्य साधनों द्वारा कराई जाएगी, जिसे सचिव ठीक समझे।

सूचनाओं आदि द्वारा युक्ति युक्त समय नियत करना

45–जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन जारी की गयी अथवा दी गई किसी सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज में किसी ऐसी बात का किया जाना अपेक्षित हो जिसके किए जाने के लिए इस अधिनियम या नियम या विनियम में कोई समय नियत नहीं किया गया है वहां वह सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज उसे करने के लिए एक युक्तियुक्त समय विनिर्दिष्ट करेगा।

प्राधिकरण के आदेशों और दस्तावेजों का अधिप्रमाणीकरण

46–प्राधिकरण की सब अनुज्ञाएं, आदेश, विनिश्चय, सूचनाएं और अन्य दस्तावेज प्राधिकरण के सचिव अथवा प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जाएंगे।

सदस्यों और अधिकारियों का लोकसेवक होना

47–प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

न्यायालयों की अधिकारिता

48–प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अभियोजन की मंजूरी

49–इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए परित्राण

50–इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम अथवा विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

प्रत्यायोजन की शक्ति

51–(1) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि नियम बनाने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा प्रयोग की जान वाली कोई शक्ति ऐसे अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हों, प्रयोग की जा सकेगी।

(2) प्राधिकरण साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि विनियम या उपविधियां बनाने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हों, प्रयोग की जा सकेगी।

(3) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हों, प्रयोग की जा सकेगी।

व्यावृत्तियां

52–इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी–

(क) किसी भवन के अनुरक्षण, सुधार और अन्य परिवर्तनों के लिये संकर्मों को क्रियान्वित करना जो संकर्म ऐसे हैं जिनसे भवन के केवल भीतरी भाग पर प्रभाव पड़ता हो या जिनसे भवन के बाह्य रूप पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़ता हो ;

(ख) किन्हीं जल निकासों, मलनालियों, मुख्य नलों, पाइपों, केबलों या अन्य साधित्र के निरीक्षण, उसकी मरम्मत या उसके नवीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा सरकार के किसी विभाग द्वारा किन्हीं संकर्मों का क्रियान्वित किया जाना जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिए किसी मार्ग या अन्य भूमि को तोड़ना भी है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसकी ओर से क्रियाओं से सम्बन्धित निर्माण (जिसके अन्तर्गत अनुरक्षाण, विकास और नए निर्माण भी हैं) ;

(घ) निवासगृह न होने वाले किसी भवन का परिनिर्माण यदि ऐसा भवन कृषि की सहायता के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो ;

(ङ) कृषिक कार्यवाहियों के सामान्य क्रम में किए गए उत्खनन (जिनके अन्तर्गत कुएं भी हैं) ; और

(च) कच्ची सड़क का निर्माण जिसका उद्देश्य केवल कृषिक प्रयोजनों के लिए भूमि पर पहुंच प्राप्त कराना हो।

छूट

53–इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए किसी भूमि या भवन को अथवा भूमि या भवनों के वर्ग को इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों में सभी उपबन्धों या उनमें से किसी से छूट दे सकेंगी।

कतिपय परिस्थितियों में योजनाओं का परिवर्तित होना

54–(1) जहां किसी विकास क्षेत्र में स्थित कोई भूमि महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना द्वारा खुले स्थानों के रूप में या भवन रहित रूप में रखी जाने के लिए अपेक्षित है अथवा किसी ऐसी योजना में अनिवार्य अर्जन के अधीन होनी उल्लिखित है वहां यदि धारा 12 के अधीन योजना के प्रवृत्त होने की तारीख से या जहां ऐसी भूमि की ऐसी अपेक्षा या ऐसा उल्लेख ऐसी योजना के संशोधन द्वारा किया गया है वहां धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे संशोधन के प्रवृत्त होने की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर उस भूमि का अनिवार्य अर्जन नहीं किया गया है तो उस भूमि का स्वामी उस भूमि में अपने

हित के उस प्रकार अर्जित किए जाने के लिए अपेक्षा करते हुए राज्य सरकार पर सूचना की तामील कर सकेगा।

(2) यदि राज्य सरकार सूचना मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के अन्दर ऐसी भूमि का अर्जन नहीं करती है तो यथास्थिति महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना उक्त छह मास की समाप्ति के पश्चात् इस प्रकार प्रभावित होगी मानो वह भूमि खुले स्थान के रूप में या भवन रहित रूप में रखी जाने के लिए अपेक्षित नहीं थी या अनिवार्य अर्जन के अधीन होनी उल्लिखित नहीं थी।

नियम बनाने की शक्ति

55–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थातः–

[1][(क) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अपील के ज्ञापन पर फीस का उद्गृहीत किया जाना।]

(ख) समुन्नति प्रभार के अवधारण में [2][अध्यक्ष] द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं और वे शक्तियां जो उसे उस प्रयोजन के लिए प्राप्त होंगी ;

(ग) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो कुल मिलाकर तीस दिन से अन्यून की अवधि के लिए, जो उसके एक सत्र या ठीक बाद के एक से अधिक सत्रों तक विस्तारित हो सकेगी, रखे जाएंगे तथा उस दशा के सिवाय जिसमें कोई पश्चात्वर्ती तारीख नियत की गई हो राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से ऐसे उपान्तर या बातिलकरण के अधीन प्रभावी होंगे जैसे विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हो जाएं। किन्तु किसी ऐसे उपान्तर या बातिलकरण का इसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि–मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनियम बनाने की शक्ति

56–(1) प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उस प्राधिकरण के कामकाज के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित विषयों में से सब या किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) प्राधिकरण की बैठकें बुलाना और करना, वह समय और स्थान जब और जहां ऐसी बैठकें होंगी, ऐसी बैठकों में कारबार का संचालन और उसमें कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) प्राधिकरण के सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य ;

(ग) सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ;

(घ) अध्याय 3 और 4 के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया ;

(ङ) अनुज्ञा के लिए आवेदन के रजिस्टर का प्ररूप और ऐसे रजिस्टर में अन्तर्विष्ट होने वाली विशिष्टियां ;

(च) प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबन्ध।

[1][(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन पर दी जाने वाली फीस ;

(ज) दस्तावेजों तथा मानचित्रों के निरीक्षण या उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिये दी जाने वाली फीस ;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय।]

(3) जब तक इस अधिनियम के अधीन किसी क्षेत्र के लिए कोई प्राधिकरण स्थापित नहीं कर दिया जाता तब तक कोई ऐसा विनियम जो उपधारा (1) के अधीन बनाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकेगा और इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तित या विखंडित किया जा सकेगा।

उपविधियां बनाने की शक्ति

57–प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आम जनता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी उपविधियां बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उपविधियां निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगीः–

(क) वह प्रारूप जिसमें धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया जाएगा और ऐसे आवेदन में दी जाने वाली विशिष्टियां;

(ख) धारा 16 में निर्दिष्ट वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन योजनाओं के उल्लंघन में भूमियों और भवनों का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा;

[2][(खख) धारा 32 के अधीन अपराधों के शमन के लिये मार्ग–दर्शन करने वाले सिद्धान्त ;]

(ग) धारा 38 के अधीन समुन्नति प्रभार के संदाय का समय और रीति।

[3][(घ) भवनों के नक्शे या जल प्रदाय, जल निकास तथा मल वहन प्रणाली को

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 14(1) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 14(2) द्वारा बढ़ाया गया।

तैयार करने के लिये वास्तुकलाविद्, नगर नियोजन इंजीनियरों, सर्वेक्षकों, नक्शानवीसों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना तथा ऐसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिये दी जाने वाली फीस ;

(ङ) जब तक धारा 9 में उल्लिखित परिक्षेत्रीय विकास योजनायें तैयार नहीं हो जाती, तब तक उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट विषय ;

[1] [(ङङ) मुख्य सड़क की परिभाषा और रंग–व्यवस्था और अन्य विनिर्दिष्टियां जिनके अनुसार ऐसी सड़क से संसक्त भवनों के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग धारा 12–क के अधीन की जायगी ;]

(च) कोई अन्य विषय जिसे उपविधियों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय।]

प्राधिकरण का विघटन

58–(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि उन उद्देश्यों को जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण स्थापित किया गया था पर्याप्त रूप से पूरा कर दिया गया है जिससे कि राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का बना रहना अनावश्यक हो गया है वहां वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेंगी कि प्राधिकरण ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, विघटित हो जाएगा ; और प्राधिकरण तद्नुकूल विघटित हुआ समझा जाएगा।

(2) उक्त तारीख से–

(क) ऐसी सभी सम्पत्तियां, निधियां और राशियां जो प्राधिकरण में निहित या उस द्वारा वसूल की जानी है राज्य सरकार में निहित होंगी या उस द्वारा वसूल की जाएंगी;

(ख) प्राधिकरण के व्ययनार्थ दी गई समस्त नजूल भूमि राज्य सरकार को वापस हो जाएगी ;

(ग) ऐसे सब दायित्व जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हों राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे ; और

(घ) किसी ऐसे विकास को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए जो प्राधिकरण द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है तथा खंड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और राशियों को वसूल करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।

निरसन आदि और व्यावृत्तियां

59–(1) (क) [2][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] की धारा 5 के खंड (ग), धारा 54, 55 और 56, धारा 114 के खंड (35), धारा 117 की उपधारा (3), धारा 119 की उपधारा (1) के खंड (ग), धारा 191, धारा 316, 317, 318, 319 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 और 333, धारा 334 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख), धारा 335, 336, अध्याय 14, [2][उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916] की धारा 178, 179, 180, 180क, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204 205, 206, 207, 208, 209, 210 और 222 (या उसकी धारा 338 के अधीन अथवा संयुक्त प्रान्त नगर क्षेत्र अधिनियम, 1914 की धारा 38 के अधीन यथा विस्तारित उक्त धाराओं) का अथवा

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 11 (1) (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

यथास्थिति [1][उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961] की धारा 162 से लेकर 171 तक का [1][और उत्तर प्रदेश (निर्माण क्रियाओं का विनियमन) अधिनियम, 1958 तथा [2][उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जो, उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञापित की गई हो, या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन विज्ञापित किया गया हो, तथा जो तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन जारी रखने के लिए अनुमोदित की जाएं, या जिन्हें ऐसी घोषणा के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रारम्भ किया जाय, जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् 'विशेष आवास परिषद स्कीम' कहा गया है] उत्तर प्रदेश आवास एवम् विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का प्रवर्तन किसी भी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में निलम्बित रहेगा और [3][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] की धारा 139 को उपधारा (3) का ऐसे प्रभाव होगा मानो विकास निधि के गठन के बारे में अपेक्षा उस क्षेत्र के लिए प्राधिकरण के गठन की तारीख से ऐसे प्राधिकरण के विघटन तक निलम्बित कर दी गई थी और [4][संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24] के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानो वह निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमितियों का निरसन था, और विशिष्टतया उक्त अधिनियमितियों के अधीन सुधार स्कीमों के लिए भूमि के अर्जन और भूमि में हित से सम्बन्धित सब कार्यवाहियां जो ऐसे निलम्बन से ठीक पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लम्बित थीं, जारी रखी जा सकेगी और उक्त अधिनियमितियों के उपबन्धों के अनुसार (जो यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे) ऐसे पूरी की जा सकेंगी मानो वे उपबन्ध निलम्बित नहीं किए गए थे, [5][और ऐसे सभी कार्य जिन्हें यदि उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 निलम्बित न होता तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी और नियंत्रक प्राधिकारी कर सकता, और जिन्हें ऐसे निलंबन के पश्चात् उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1964 की धारा 6 प्रयुक्त होने के कारण, अब भी किया जा सकता है, को करने की शक्ति क्रमशः उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष में निहित होगी।]

(ख) खंड (क) के आधार पर निलम्बित उपबन्धों का प्रवर्तन धारा 58 के अधीन प्राधिकरण के विघटन पर पुनः प्रचलित हो जाएगा और [6][संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24] के उपबन्ध इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के लागू होने की समाप्ति के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी समाप्ति उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के इन उपबन्धों का निरसन थी।

[7][(ग) खण्ड (क) और (ख) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, अथवा उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन)

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 47, 1976 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 11(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 15(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 47, 1976 की धारा 6(क)(ii) द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 15(क)(ii) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 15(क)(iii) द्वारा बढ़ाया गया।

अधिनियम, 1958 अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन कोई उपविधियां, निदेश और विनियम जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिये जायें।]

(2) जहां कोई क्षेत्र, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त नगर विकास अधिनियम, 1919 के अधीन गठित कोई सुधार न्यास विद्यमान है, धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र घोषित किया जाता है वहां उक्त अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) अधिनियम, 1961 भी यदि लागू हो, तो ऐसे क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से निरसित हो जाएगा और सुधार न्यास उस तारीख से विघटित हो जाएगा।

(3) [1][ऐसे विकास क्षेत्र के संबंध में जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश [2][नगर निगम] अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई सम्पूर्ण नगर है, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक को, और उससे, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व उस नगर की [2][नगर निगम] के अधिष्ठान के समस्त पद जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 जिसे आगे इस धारा में केन्द्रीयित सेवायें कहा गया है, द्वारा नियंत्रित पद न हों किन्तु जो अनन्यतः उक्त अधिनियम के अध्याय 14 अथवा उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन उसके कार्य–कलापों के सम्बन्ध में हों, ऐसे दिनांक से ही ऐसे पदाभिधान से जैसा प्राधिकरण अवधारित करे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, तथा उस नगर की [2][नगर निगम] के अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों का जो किसी सेवा के सदस्य न हों चयन जिनकी संख्या इस प्रकार अन्तरित पदों की संख्या से अधिक न हो, उन पदों पर नियुक्त किये जाने के लिये, ऐसे निदेशों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें, और इस प्रकार चयन किये जाने पर वे विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और उसके अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हो जायेंगे ; और उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक पर तथा सेवा की उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे पद धारण करते होते, यदि प्राधिकरण का गठन न किया गया होता, और तब तक उसी प्रकार पद धारण करते रहेंगे जब तक कि ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा शर्तें और निबन्धन प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती।]

परन्तु प्राधिकरण के गठन से पूर्व किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा [2][नगर निगम] के अधीन की गई कोई सेवा प्राधिकरण के अधीन की गई सेवा समझी जाएगी ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 15(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 11(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह और कि प्राधिकरण किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के निर्वहन में नियोजित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे तथा प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी अनुकूल उन कृत्यों का निर्वहन करेगा।

1[(4) ऐसे विकास क्षेत्र के संबंध में जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश **2**[नगर निगम] अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई सम्पूर्ण नगर है, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक को और उससे, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व उस नगर की **2**[नगर निगम] के अधिष्ठान के समस्त पद जो केन्द्रीयित सेवाओं द्वारा नियंत्रित हों और अनन्यतः उसके उक्त कार्यकलापों के सम्बन्ध में हो, ऐसे दिनांक से हो ऐसे पदाभिधान से जैसा राज्य सरकार अवधारित करे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, किन्तु ऐसे पद केन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों द्वारा उसी प्रकार भरे जाते रहेंगे जिस प्रकार वे भरे जाते यदि वे प्राधिकरण को अन्तरित न किये गये होते, और उक्त अधिनियम तथा केन्द्रीयित सेवाओं से संबंधित नियम तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे।]

(5) विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास के अधीन सेवा करने वाला प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी तारीख को, और उससे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिया जाएगा और उसका अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा जिसका पदाभिधान ऐसा होगा जैसा प्राधिकरण अवधारित करे और जो उस अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और सेवा के वैसे ही निबन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेगा जिन पर वह उस दशा में पद धारण करता जिसमें प्राधिकरण गठित नहीं किया गया होता तथा वह तब तक वैसा करता रहेगा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबन्धन और शर्तें प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती :

परन्तु प्राधिकरण के गठन से पूर्व किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा न्यास के अधीन की गई कोई सेवा प्राधिकरण के अधीन की गई सेवा समझी जाएगी :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के निर्वहन में नियोजित कर सकेगा जिन्हें वह उचित समझे और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तदनुकूल निर्वहन करेगा।

(6) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के होते हुए भी–

(क) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों में से किसी के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना या दिया गया आदेश या बनायी गई स्कीम अथवा दी गई अनुज्ञा भी है) वहां तक जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो प्रवृत्त बनी रहेगी और इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन की गई समझी जाएगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्यवाही द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 15(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 11(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा, उसके साथ या उसके लिए अनन्य रूप से उन कृत्यों के पालन के संबंध में जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को सौंपे गए हों उपगत सब ऋण, आधार और दायित्व, की गई सब संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सब मामले और बातें संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी ;

(ग) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास में निहित सभी जंगम और स्थावर सम्पत्तियां संबंधित विकास प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी और [1][उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी] में अनन्य रूप से ऐसे कृत्यों के निष्पादन के संबंध में, जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को सौंपे गए हों, निहित सब जंगम और स्थावर सम्पत्तियां संबंधित विकास प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी ;

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास को या अनन्य रूप से ऐसे कृत्यों के निष्पादन के संबंध में जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को सौंपे गए हों देय सब किराए, फीस और अन्य धनराशियां संबंधित विकास प्राधिकरण को देय समझी जाएंगी ;

(ङ) ऐसे सभी बाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो [2][उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्थानीय किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्ति या गठित किसी प्राधिकारी] द्वारा, उसके लिए या उसके खिलाफ, ऐसे कृत्यों के निष्पादन के संबंध में जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को सौंपे गए हों, संस्थित की गई हों या संस्थित की जा सकती थीं विकास प्राधिकरण के द्वारा उसके लिए या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकेगी या संस्थित की जा सकेंगी।

[3][(च) इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन समस्त अपील जो ऐसी घोषणा के दिनांक को, नियन्त्रक प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, अध्यक्ष, को अन्तरित हो जायेंगी और अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसी समस्त अपील जो नियन्त्रित प्राधिकारी को सम्बोधित हों और जो उक्त घोषणा के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा ग्रहण की गई हों, अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई समझी जायेंगी और अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।]

स्पष्टीकरणः– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश [4][नगर निगम] अधिनियम, 1959 की धारा 139 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विकास निधि, और उस निधि से सृजित सब सम्पत्तियां तथा महापालिका द्वारा, उसके साथ या उसके लिए ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में या उक्त अधिनियम के अध्याय 14 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के संबंध में उपगत सब ऋण, आभार और दायित्व, की गई सब संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 59 (6) (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 59 (6) (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1975 की धारा 59 (6) (च) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 3, 1997 की धारा 11(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

मामले और बातें इस अधिनियम द्वारा विकास, प्राधिकरण को सौंपे गए कृत्यों के निष्पादन से संबंधित समझी जाएंगी और खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) तदनुकूल लागू होंगे।

(7) यदि स्थानीय प्राधिकारी या विकास प्राधिकरण के बीच इस बात कोई विवाद हो जाए कि क्या उपधारा (6) के खण्ड (ख), (ग), और (घ) के प्रयोजनों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, उसके साथ या उसके लिए कोई ऋण, आभार या दायित्व उपगत किया गया था या कोई संविदा की गई थी या कोई बात करने के लिए वचनबद्ध किया गया था या किसी स्थानीय प्राधिकारी में कोई सम्पत्ति निहित थी अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी को अनन्य रूप से ऐसे कृत्यों के निष्पादन के संबंध में जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को सौंपे गए थे कोई किराया, फीस या अन्य धनराशि देय थी तो वह राज्य सरकार को निर्देशित किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नास्पद नहीं किया जाएगा।

(8) यदि इस बाबत कोई प्रश्न पैदा हो कि क्या उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए संबंधित [1][नगर निगम] का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व अनन्य रूप से उत्तर प्रदेश [1][नगर निगम] अधिनियम, 1959 अध्याय 14 के अधीन ऐसे क्षेत्र मैं जिसके लिए विकास प्राधिकरण गठित किया गया है कृत्यों के निष्पादन के संबंध में नियोजित था तो वह राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नास्पद नहीं किया जाएगा।

(9) उपधारा (3) और (5) की कोई बात [1][नगर निगम] या यथास्थिति, सुधार न्यास के ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को लागू नहीं होगी जो संबंधित विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से एक मास के अन्दर उस निगम या न्यास को अपने इस विकल्प की इत्तला दे देता है कि वह विकास प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं होना चाहता और उस निकाय द्वारा ऐसी इत्तला की प्राप्ति पर उसके अधीन उसका नियोजन तुरन्त समाप्त हो जाएगा और उस निकाय के अधीन उसका पद समाप्त हो जाएगा और वह उस निकाय से निम्नलिखित प्रतिकर पाने का हकदार होगा,–

(क) यदि वह विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व स्थायी हैसियत में नियोजित था तो तीन मास के वेतन के बराबर ;

(ख) यदि वह विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व अस्थायी हैसियत में नियोजित था तो एक मास के वेतन के बराबर।

स्पष्टीकरण:–इस उपधारा में ''वेतन'' पद के अन्तर्गत महंगाई भत्ता, विशेष तनखाह या कोई अन्य समान नियतकालिक भत्ता या तनख्वाह भी है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 11(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(10) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवाओं का अन्तरण उसे उस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगी और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(11) उपधारा (3) और (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात और विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति की की गई किसी नियुक्ति या प्रोन्नति वेतन वृद्धि, उसे दी गई पेंशन, उसे दिया गया भत्ता या कोई अन्य फायदा, जो विकास प्राधिकरण की राय में सामान्यतया नहीं किया जाता या दिया जाता अथवा सामान्यतया इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त सेवा के निबन्धनों और शर्तों के अधीन अनुज्ञेय नहीं होता, प्रभावित नहीं होगा, या विकास प्राधिकरण द्वारा संदेय नहीं होगा अथवा विकास प्राधिकरण से या किसी भविष्य निधि या अन्य निधि से अथवा निधि को प्रशासित करने वाले किसी प्राधिकारी से उसका दावा नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस नियुक्ति, प्रोन्नति या वृद्धि को पुष्ट न कर दिया हो या यथा स्थिति उस पेंशन, भत्ते या अन्य फायदे के दिये जाने के जारी रखने का निदेश न दे दिया हो।

(12) उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिये गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान, या अन्य समान निधि के जो व्यक्ति विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व न्यासी हों और जो किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नाम–निर्देशित न्यासियों से भिन्न हों उसके स्थान पर व्यक्तियों के रूप में ऐसे व्यक्ति रखे जायेंगे जिन्हें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(13) उपधारा (6) के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश [1]**[**नगर निगम**]** अधिनियम, 1959 के अध्याय 14 के अधीन [1]**[**नगर निगम**]** के सब कृत्य तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वे सब कृत्य जो [2][विशेष आवास परिषद् स्कीम] से सम्बन्धित कृत्यों से भिन्न हों, इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को सौंपे गए कृत्य समझे जाएंगे।

[3][(14) उत्तर प्रदेश [1]**[**नगर निगम**]** अधिनियम, 1959 की धारा 365 में किसी बात के होते हुए भी, किसी सुधार स्कीम के लिये, जिसके सम्बन्ध में कृत्य उपधारा (13) के अधीन विकास प्राधिकरण की सौंपे गये कृत्य समझे जायेंगे, भूमि और भूमि में हित के सभी अर्जन, [4][31 दिसम्बर, 1982] को या उसके पहले, कम से कम अधिनिर्णय देने के स्तर तक, पूरे किये जायेंगे।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1997 की धारा 11(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 47, 1976 की धारा 6(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1976 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 06, 1982 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

60–(1) उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अध्यादेश, 1973 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। **निरसन और व्यावृत्ति**

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम, 1973 के जून की बारह तारीख को प्रारम्भ हो गया था।

अधिनियमन के कारण

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 12 जून, 1973 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अध्यादेश, 1973 प्रख्यापित किया जिसमें उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् द्वारा यथापारित उत्तर प्रदेश नागर नियोजन तथा विकास विधेयक, 1973 के उपबन्ध दिये गये थे। इस अधिनियमन के कारण नीचे दिये गये हैं।

2–उत्तर प्रदेश राज्य के विकासशील क्षेत्रों में नगर योजना और नगर विकास की समस्याओं को दृढ़ता के साथ हल करने की आवश्यकता है। विद्यमान स्थानीय निकाय और प्राधिकारी अपने भरसक प्रयत्नों के बावजूद इन समस्याओं को उस हद तक निपटाने में समर्थ नहीं हो सके हैं जिस हद तक वांछनीय है। इस परिस्थिति को सुधारने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह उचित समझा है कि ऐसे विकासशील क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के नमूने के विकास प्राधिकरण स्थापित किये जाएं।

चूंकि राज्य सरकार की यह राय थी कि राज्य में नगर विकास और योजना का कार्य पहले ही काफी विलम्बित हो चुका है इसलिये ऐसे प्राधिकरणों को जल्दी स्थापित करने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया।

3–वर्तमान विधान इसलिए बनाया गया है कि पूर्वोक्त अध्यादेश का स्थान राष्ट्रपति का अधिनियम ग्रहण करे।

4–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों को प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 (1973 का 33) की धारा 3 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन गठित समिति से इस विधान को राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में अधिनियमित करने के पहले परामर्श कर लिया गया है।